Impact Study

Shiksha Protsahan Kendra Program

Eklavya

Supported By Axis Bank Foundation

कार्यक्रम के संदर्भ में...

कार्यक्रम को विकसित करने, फील्ड पर व्यवहारिक रूप में लाने तथा समय–समय पर इसकी समीक्षा कर, दिशा निर्धारण में काफी लोगों का सहयोग मिला है। एकलव्य की ओर से उस समय के निदेशक श्री सी. एन.सुब्रमण्यम के सक्रिय सहयोग से हम एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सी.ई.ओ. श्री सुब्री को फील्ड में चल रहे छोटे से मॉडल को दिखा सके। श्री सुब्री के विवेक से हमें वित्तिय सहयोग की सहमति मिली। एकलव्य गर्वनिंग बॉडी के चेयर श्री विजय वर्मा ने कार्यकम के मर्म को समझते हुए हमें और क्षेत्रों में विस्तार के लिए प्रेरित किया।

कार्यकम का और क्षेत्रों में विस्तार करने में हमारे और साथी जुड़े। मालवा क्षेत्र में रविकांत मिश्र, दिनेश पटेल, शोभा शिगणे, प्रेम मनमौजी, बहादुर जाटव एवं अनु ने मोर्चा सम्हाला। इधर नर्मदा क्षेत्र (बाबई, हरदा, पिपरिया) में प्रदीप चौबे, महेश बसेड़िया, रश्मि पालीवाल, गोपाल राठी, कमलेश भार्गव, शोभा चौबे की देखरेख में कार्यकम विकसित हुआ। शाहपुर क्षेत्र में पहले से कार्यकम में लगी टीम घनश्याम तिवारी, अनिल सरगर, निलेश मालवीय, निदेश सोनी, हेमराज, मंजू तिवारी, नंदा शर्मा, आरती, दीपाली वर्मा ने कार्यक्रम को विस्तार देने, नए तरीके एवं सामग्री विकसित करने में लगे थे।

कार्यक्रम विस्तार में एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से वित्तिय सहयोग के अलावा तिमाही रिपोर्ट को समझने, उसके माध्यम से कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ समीक्षा करने, लक्ष्य को हासिल करने की गति व प्रक्रिया पर सवाल पूछने से काफी सहयोग मिला। हम, एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से श्री बाबूभाई जोसफ, सुश्री पूजा, सुश्री शालिनी रतन सुश्री शुभांगनी, सुश्री ज्ञानंदा के विशेष आभारी हैं। खासकर सुश्री ज्ञानंदा ने रिपोर्ट लेखन की क्षमता में पूरी टीम की दक्षतावर्धन में काफी सहयोग और समय दिया। डॉ. अमन मदान ने समय–समय पर शिप्रोके के प्रभाव का अध्ययन कर कार्यक्रम को दिशात्मक सहयोग करते हुए पूरी टीम का उत्साहवर्धन किया।

वर्ष 2007 से मार्च 2014 के दौरान कार्यक्रम को फील्ड में व्यवहारिक रूप में लाने में 47 अनुवर्तनकर्ताओं तथा 394 केन्द्र संचालकों का सहयोग प्राप्त हुआ। संख्या अधिक होने के कारण इन सभी का नाम देना संभव नही है, हम इन सबके आभारी हैं।

संस्थागत वित्तिय प्रभार एवं प्रबंधन श्री राजेश खिन्द्री एवं श्री अनिल लोखंडे की देखरेख में संपन्न हुआ।

इस दस्तावेज को तैयार करने में एकलव्य के निदेशक श्री अरविन्द सरदाना का सतत् दिशात्मक निर्देशन प्राप्त हुआ। सुश्री अंजलि नरोन्हा तथा पूर्व निदेशक श्री सी.एन.सुब्रमण्यम के सुझाव एवं टिप्पणी से दस्तावेज को सुव्यवथित करने में काफी मदद मिली।

उपरोक्त सभी के साथ–साथ 192 शिप्रोके समिति के सभी सदस्य, पालक जिन्होंने समय निकालकर हमारी विभिन्न कार्यशाला, मासिक पालक गोष्ठी, बालमेले आदि में अपना सक्रिय योगदान दिया। आप सभी के सहयोग के बिना कार्यक्रम संपन्न करना असंभव था।

इस सतत चलने वाली शिक्षा यात्रा में और भी कई साथी हो सकते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया होगा, जिनका जिक्र इस दस्तावेज में नही हुआ। हम उन सभी के आभारी हैं।

आप सभी के सहयोग के लिए आभार एवं धन्यवाद।

घनश्याम तिवारी , एकलव्य

इस दस्तावेज में ...

विवरण / शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र की शुरूआत (पृष्ठभूमि)	4 से 5
एक्सिस बैंक फाउंडेशन के वित्तिय सहयोग विस्तार	5
शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र क्या है? शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के मुख्य उद्देश्य है।	6
शिप्रोके में मुख्य कार्य, शिप्रोके न तो शाला है और न ही ट्यूशन सेंटर, इनमें फर्क कैसे?	7
(शिप्रोके) इसकी जरूरत क्या है और कब इसकी जरूरत खत्म होगी ?	8
शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र कहां, कैसे खोला जा सकता है? कैसे संचालित किए जाते हैं?	8
ए बी सी अपेक्षाएं व एक से दूसरे में जाने के मापदण्ड	9–10
गांव की बसाहट, ग्रामसर्वे , बेस लाइन टेस्ट ,मोहल्ले का नक्शा, सह–शिक्षण सामग्री	10–11
शिप्रोके का प्रस्ताव व शर्ते, संचालक का चयन।	13
समुदाय की भूमिका।संचालन समिति का गठन–	14
वित्तिय प्रबंधन	14–15
समिति सदस्यों की जिम्मेदारी, दायित्व व अधिकार	16
शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र का ढांचा व लोगों की जिम्मेदारियां–	16
केन्द्र संचालक की जिम्मेदारी व काम, वेतन	16
अनुवर्तनकर्ता की जिम्मेदारी व काम –	17
सहायक समन्वयक की जिम्मेदारी व काम –	17
कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी व काम –	17
शिक्षण विधि –शिक्षण योजना	18–19
शिक्षण विधि– भाषा, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षण	19–20
स्तत आकलन से शिक्षण योजना बनाने तक	20–24
दस्तावेजीकरण–	24
विद्यार्थियों से लिए गए साक्षात्कार का प्रारूप	24–25
डाटा का विश्लेषण करने पर पाया कि	26
डाटा संकलन की प्रक्रिया, शैक्षणिक विशलेषण	26
उपलब्धि	26
प्राथमिक शाला स्तर ड्रापआऊट विद्यार्थियों का विश्लेषण	27
माध्यमिक शाला स्तर, ड्रापआऊट की प्रमुख वजह	27
हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर ड्रापआऊट की प्रमुख वजह,सुझाव / टिप्पणी	28
आंकड़े क्या कहते हैं ?	29–30
साक्षात्कार के आंकड़े और उनका विशलेषण	30– 36
शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र से एकलव्य टीम के सदस्यों ने समझा व सीखा कि	36
चुनौतियां	37.39

1994–95 में डी.पी.ई.पी.(जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाम राजीव गांधी शिक्षा मिशन) लागू किया गया। इसमें काफी नवाचार की गुंजाईश थी। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही सभी संस्थाओं को संदेश था कि आप सरकार के साथ मिलकर अपने नवाचारों को राज्य की शिक्षा में शामिल कर सकते हो। इसके लिए आप सरकारी स्कूलों का चुनाव कर सकते हो किन्तु कम से कम एक विकासखण्ड के समस्त स्कूल लेने होंगे। ऐसे में प्राशिका (एकलव्य द्वारा 1987 से संचालित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) के सामने दुविधा थी कि एक ब्लाक में काम करें या फिर 25 स्कूल भी छोड़ दें। पूरी बेहतर तैयारी न होने के बावजूद शाहपुर विकासखण्ड में काम करने का निर्णय लेना पड़ा। अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष क्रमशः पहली से पांचवी तक हर साल एक–एक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम समीक्षा व निर्माण, सामग्री निर्माण, पाठ्यपुस्तकें निर्माण, परीक्षण व संशोधन, शिक्षण विधि पर नवाचार व प्रयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित मासिक गोष्ठी, अनुवर्तन व विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न–पत्र बनाना, उन्हें जांचने की प्रक्रिया संपन्न करवाना जैसे कामों में पूरी प्राशिका टीम के साथ–साथ एकलव्य के अन्य कार्यक्रमों में जुड़े साथी व एकलव्य से जुड़े स्रोत सदस्य प्राशिका के प्रसार में काफी व्यस्त रहे। इसी दरम्यान राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सीखना–सिखाना पैकेज पूरे राज्य की प्राथमिक शालाओं के लिए तैयार किया जा रहा था। जिसमें एकलव्य सहित राज्य में शैक्षिक बदलाव हेतु काम कर रही सभी संस्थाओं के अनुभवों को शामिल किया जाना था। अतः प्राशिका टीम सदस्यों का काफी समय सीखना–सिखाना पैकेज को विकसित करने एवं उसे लागू करने में राज्य सरकार को सहयोग करने में बीत रहा था।

सरकार के साये में काम करते–करते हम भी सरकारी होने लगे थे। हमारे काम का देश की शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है किन्तु प्रत्यक्ष तौर पर यदि हमारा काम बंद हो जाए तो आम लोगों पर इसका कोई खास असर पड़ेगा ऐसा नही लगता था। इसी दौरान फरवरी 1999 में बी.आर.सी. शाहपुर में हुई कार्यक्रम समीक्षा गोष्ठी में यह मुद्दा उठा कि पालक एकलव्य की शिक्षण विधि और किताबों को पसंद नही कर रहे हैं। वे इसका विरोध कर रहे है। संबंधित सी.ए.सी. चर्चा कर स्कूल व गांव का पता लगाया। दो दिन बाद मैं चिखलीमाल पहुंचा। पदस्थ शिक्षक से चर्चा की। शिक्षक ने पालकों की नाराजगी का कारण बताया कि एकलव्य वाले बच्चों को अनार–आम पढ़ाने से रोकते हैं जिसके कारण बच्चे पढ़ना नही सीख पा रहे हैं। इस दौरान शिक्षक ने गांव से 14 पालकों को स्कूल बुलवाया। पालकों ने आते ही वही सब बातें दोहराई जिन्हें शिक्षक पहले ही बता चुका था। मैंने पालकों से आग्रह किया कि मुझे ऐसे बच्चे दें जिन्हें पढ़ना नही आता हो और आधा घंटे मैं इनके साथ कुछ गतिविधि करूंगा फिर मुझे आप बताना हम लोग सही काम कर रहे हैं या गलत। पालकों ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार लिया। शिक्षक ने पहली दूसरी के 19 बच्चे चुनकर मुझे दे दिए। मैंने उनके साथ एक चित्र कहानी दो बार दोहराई। फिर बच्चों से चित्रों के नाम पूछे और उनके नाम कार्ड बनाए। फिर नाम कार्ड के साथ एक गतिविधि की। फिर सभी के नामकार्ड इक्टठे कर जेब में रख लिए और पालकों के पास आ गया। शिक्षक ने उत्सुकतावश पूछा– सर देख लिया ना बच्चों को कुछ नही आता ?

क्या ? अपना नाम भी नही पहचानते ? मैंने पूछा।

सर जब अनार–आम ही नही आता तो नाम कैसे लिखेंगे–पढ़ेगे। क्यों भई, पालकों की तरफ मुखातिब होकर बोला। पालकों ने भी हां में हां मिलाई।

मैं सभी पालकों को कक्षा में ले गया। बेंच पर बैठाया। एक पालक को बच्चों के नाम कार्ड दिए और कहा एक–एक कार्ड बच्चों को दिखाते जाओ जिसका नाम होगा वह ले लेगा। दो–तीन मिनिट में ही सभी बच्चों ने अपना–अपना कार्ड सही पहचानकर ले गए। फिर मैंने जो चित्र कहानी सुनाई थी उनके एक–एक चित्रों के नाम बोर्ड पर लिखता गया और बच्चों से उन्हें पढ़वाता गया। पांच चित्रों के नाम लिखने के

बाद पालकों से कहा कि आप इनमें से किस बच्चे से कहानी सुनना चाहेंगे उसे बुलाईये। पालकों ने जिस बच्चे को बुलाया उसने चित्रनाम पर छड़ी रखते हुए पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद शिक्षक ने एक ऐसे बच्चे को खड़ा किया जिसे वह बहुत शैतान समझता था। उसने और भी अच्छे तरीके से कहानी दोहराई। इसके बाद मैंने पालकों ने शिक्षक को मेरे सामने बैठाकर कहा– गुरूजी तुम जो कह रहे थे वो सब गलत है। इस तरीके से तो बच्चे अच्छा सीखते हैं। आपका तरीका और किताबें बहुत अच्छी है। इससे हमें और स्पष्ट हो गया कि शिक्षा में बदलाव के लिए सीधे समुदाय के साथ काम करना आवश्यक होगा।
इस सबसे मुझे लगा कि अब तक हमने जो प्रयास किए उनमें यदि पालकों को भी शामिल किया होता तो तनावमुक्त और बेहतर परिणाम मिलते। बस यहीं से शिप्रोके की कल्पना दिमाग में उत्खनन करने लगी। क्या तरीका हो कि पालकों की स्कूल के शैक्षिक प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो सके।

बैतूल जिले के शाहपुर विकासखण्ड में एकलव्य समूह द्वारा विगत वर्षो से प्राथमिक शिक्षा पर कार्य कर रहा है। अनुवर्तन के दौरान देखने को मिला कि पालकों की शिक्षा के प्रति अरूचि है, शिक्षक पर शासकीय प्रशासनिक कार्यो की अधिकता होने से शिक्षण कार्य ठीक से नही हो पा रहा है, शिक्षक की उदासीनता ,अरूचि ,बच्चों की अनियमितता , पालक शिक्षक संघ (शाला प्रबंधन समिति) भी नाम मात्र का है।

इन्हीं संभवनाओं को तलाशते हुए समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए शिक्षा प्रोतसाहन केन्द्र की सोच बनी । शुरूआत 1999 में शाहपुर ब्लाक के नवरंगढाना (कुण्डी गांव का एक मोहल्ला) में एक प्रायोगिक केन्द्र से की गई। इस केन्द्र को खोलने, चलाने में एकलव्य की भूमिका प्रमुख रही। जिसे अगले चार माह में बंद कर दिया।

एक्सिस बैंक फाउंडेशन के वित्तिय सहयोग विस्तार –

शिप्रोके को कार्यक्रम के रूप में विकसित करने में सर रतन टाटा ट्रस्ट मुबंई का वित्तिय सहयोग महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2000 से 2007 तक सर रतन टाटा ट्रस्ट मुबंई के वित्तिय सहयोग से शाहपुर विकासखंड में 39 शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा था। शिक्षा में पालकों का जुड़ाव और रूचि बढ़ रही थी किन्तु वित्तिय व्यवस्था न हो पाने के कारण केन्द्र नही बढ़ाए जा सकते थे। वर्ष 2007 में एक्सिस बैंक फाउंडेशन से वित्तिय सहयोग प्राप्त हुआ और बैतूल के (शाहपुर ब्लाक) साथ–साथ होशंगाबाद (बाबई विकासखंड), देवास (हाटपिपल्या), हरदा के (हरदा एवं हंडिया ब्लॉक में), उज्जैन (नरवर ब्लॉक में) 120 शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्रों का विस्तार किया गया।

वर्ष 2011 तक उपरोक्त क्षेत्रों में 192 शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र संचालित किए गए।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र क्या है?

सरकारी स्कूली तंत्र में सभी प्राथमिक शाला आयु वर्ग के बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इनमें से कुछ बच्चे स्कूल में रूक पाते हैं तो कुछ स्कूल छोड़ देते हैं। जो स्कूल में रूक जाते हैं वे साल दर साल अगली कक्षा में बढ़ते रहते हैं। इनमें काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका शैक्षणिक स्तर अपनी कक्षा से काफी नीचे होगा। कहने को तो वे हर साल कक्षोन्नति करते हैं किन्तु लिखना–पढ़ना न सीख पाने के कारण स्कूल के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है। समय रहते ऐसे बच्चों पर ध्यान नही दिया गया तो स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र दोनों तरह के बच्चों के साथ काम करता है। एक वे बच्चे जो स्कूल से विमुख हो गए हैं उन्हें लिखना–पढ़ना सीखाकर स्कूल की मुख्यधारा में पूरे आत्मविश्वास/शैक्षिक तैयारी के साथ जोड़ना। दूसरे वे बच्चे जो लिखना–पढ़ना न सीख पाने के कारण स्कूल छोड़ने की स्थिति में हैं। ऐसे बच्चों को लिखना–पढ़ना सीखाकर स्कूल में पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने का काम शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र करता है।

गांव में कोई ऐसा स्थान, जहां प्राथमिक शाला आयु वर्ग के 30 से 35 बच्चे रोज दो घंटे पढ़े। इसके बाद नियमित स्कूल जाएं। इन्हें पढ़ाने का काम गांव के लोगों द्वारा चुना कोई युवक/युवती करे। इसकी देखरेख समुदाय के सदस्य मिलकर करें।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के मुख्य उद्देश्य है।

1. सरकारी स्कूल के शिक्षक, पालकों के समक्ष एक मॉडल प्रस्तुत करना कि बच्ची बिना मारे–पीटे, परिवेश में उपलब्ध सामग्री के साथ क्रियाकलाप करके बेहतर सीख सकती है।
2– प्राथमिक शाला आयु वर्ग के सभी लड़के–लड़कियां भाषा व गणित की बेसिक दक्षताएं हासिल कर सकें। इन्हें हासिल करते हुए वे और आगे सीखने के आत्मविश्वास के साथ नियमित स्कूल जाएं।
3. पालकों को सरकार द्वारा प्रदाय शिक्षा कैसी हो इसके प्रति जागृत कराना।
4. ग्राम शिक्षा समिति/पालक शिक्षक संघ को सक्रिय करना। प्रतिमाह पालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन करना ,चर्चा करना।
5. सरकारी स्कूल में बच्चों की नियमितता को बनाए रखना।
6. शाला त्यागी एवं स्कूल नही जाने बच्चों को पढ़ना–लिखना सिखाना एवं इच्छुक बच्चों को शाला में नियमित करना या स्वाध्यायी के रूप मे 5 वी उत्तीर्ण कराना।(उन दिनों कक्षा पांचवी में बोर्ड परीक्षा होती थी।)
7. बाल–पुस्तकालय के माध्यम से बालकों/पालकों का जुड़ाव बनाए रखना एवं पढ़ने की आदत विकसित करना।
8. बच्चों के सीखने के प्रति पालकों का नजरिया और बेहतर करना ताकी वे उन्हें सीखने से रोककर बाधक न बने।
9. अप्रत्यक्ष रूप से पालकों को शाला प्रबंधन के लिए तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में निम्न प्रकिया की जाती है–

1– बच्चों की शैक्षिक स्थिति की समीक्षा के लिए पालकों के साथ प्रतिमाह बैठक करना।

2. केन्द्रों की शैक्षिक समीक्षा व शिक्षण योजना बनाने के लिए संचालकों के साथ प्रतिमाह मासिक गोष्ठी करना।
3. अनुवर्तन एवं मूल्याकंन कर बच्चों की शैक्षिक स्थिति पालकों को बताना।
4. ग्राम शिक्षा समिति को जागरूक करना।
5. जन सम्पर्क करना, लोगों को समझाना ,शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
6. सहयोग राशि एकत्र करने एवं हिसाब में मदद करना।
7. शैक्षिणक कार्य मे मदद करना जैसे गतिविधियां बनाना ,सामग्री निर्माण आदि।
8. बाल पुस्तकालय के माध्यम से बालक/पालक का जुड़ाव करना।
9. गॉव मे एकता एवं विकास के कार्यो में लोगों की मदद करना। आने वाली दिक्कतों पर विचार विमर्श करना, समस्या का निराकरण करना।
10. बच्चों की नियमितता एवं औसत उपस्थिति बनाए रखना।
11.स्कूल नही जाने वाले एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पढ़ना–लिखना सिखाना एवं शाला में नियमित कराना।
12. अनुवर्तनकर्ता व केन्द्र संचालकों को प्रशिक्षण देना।
13. एकलव्य के पाठय्क्रम, पढ़ाने के तरीकों, सामग्री पर लोगों से चर्चा करना।

शिप्रोके न तो शाला है और न ही ट्यूशन सेंटर, इनमें फर्क कैसे?

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र आरंभ करने के साथ उसमें पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों का बेस लाईन टेस्ट लिया जाता है। बेस लाईन टेस्ट के आधार पर उसे ए, बी, सी समूह में रखा जाता है। यहां यह नही देखा जाता कि स्कूल में वह किस कक्षा में दर्ज है। बेस लाईन के आधार पर, पढ़ाई किस स्तर से शुरू करें स्पष्ट होता है। शिप्रोके में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि उसकी झिझक कम हो, लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़े। लिखना–पढ़ना के साथ पढ़कर समझना आए। गणित में संख्या पहचान के साथ–साथ जोड़–घटाना, गुणा–भाग, इबारती सवाल करने लगे। इतना कर पाने के बाद भिन्न, क्षेत्रफल, आयतन, दशमलव आदि पर समझ बनाने की शुरूआत की जाती है।

शिप्रोके में अगली कक्षा में जाने का दबाव नही होता। वह जिस भी समूह में होता है उसे सीखने–समझने का पर्याप्त समय होता है।

शिप्रोके में बैठक व्यवस्था समूहवार होती है। शिक्षण व्यवस्था हर बच्चे के स्तर व अनुभव के साथ गतिविधि आधारित होती है। बच्चे कितना सीख गए हैं इसका सतत आकलन शीट में रिकार्ड रखा जाता है। सतत आकलन के लिए अलग से कोई परीक्षा नही ली जाती है, केन्द्र संचालक जब बच्चे गतिविधि कर रहे होते हैं, उस दौरान उनका प्रदर्शन व उपलब्धि देखकर शीट में दर्ज कर लेता है। जिसे प्रत्येक माह पालक गोष्ठी में प्रस्तुत किया जाता है।

इसकी (शिप्रोके) जरूरत क्या है और कब इसकी जरूरत खत्म होगी ?

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र उन बच्चों के बीच काम करता है जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। इनमें लगभग बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। इन बच्चों को तीन समूह में बांट सकते हैं–

- पहली पीढ़ी के बच्चे– ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार से अब तक कोई स्कूल नही गया है। इनके घर में कोई पढ़ाने वाला नही होता है। इनके पालक स्कूल आने में संकोच करते हैं। उनमें स्कूल के प्रति काफी झिझक होती है। शिक्षक इनके बच्चों का नाम तो दर्ज कर लेते है किन्तु पालक कभी स्कूल जाकर पता नही करते कि बच्चे को क्या दिक्कतें हैं।
- आदिवासी व दलित बच्चे– इनके परिवार में शिक्षा द्वितीय मुद्दा हो सकता है। प्रमुख मुद्दा रोटी कमाना, भरण–पोषण पहली प्राथमिकता होती है। नियमित स्कूल जाना इनकी प्राथमिकता में नही होता, ये बच्चे अक्सर माता–पिता के सहयोग के लिए घर में रूक जाते हैं।
- गरीब बच्चे – इन बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएं भी अपर्याप्त होती है। ये माता–पिता को मजदूरी व खेती के काम में समय देते हैं। या स्वयं भी आय उर्पाजन के काम में लग जाते हैं। उक्त बच्चे और उनके पालकों दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने व अपनी व अपने बच्चों की क्षमता को परखने के लिए शिप्रोके कार्यक्रम मददगार साबित होते हैं।

जब एक पीढ़ी पढ़कर शिक्षा के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने लगेगी तब शिक्षा प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों की जरूरत कम पड़ेगी।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र कहां, कैसे खोला जा सकता है? कैसे संचालित किए जाते हैं?

शिप्रोके आरंभ करने के लिए ऐसे गांव को चुना जाता है जहां स्कूल जाने वाले बच्चों में पहली पीढ़ी के बच्चे अधिक हो। जहां स्कूल की दूरी अधिक हो। जहां घर में मदद करने वाले पालकों की संख्या कम हो। स्कूल में नियमित उपस्थिति कम हो। दलित व आदिवासी परिवारों की संख्या अधिक हो। गरीब परिवारों की संख्या अधिक हो।

ऐसे गांव में किसी पूर्व परिचित के सहयोग से पालकों व शिक्षक से संपर्क किया जाता है। संपर्क के दौरान खेती, फसल, काम, मजदूरी, बीमारी, बाहर काम पर जाने में आने वाली दिक्कतों के साथ–साथ पालक अपने बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात की जाती है। बच्चों के नियमित स्कूल न जाने के कारणों पर पालकों व शिक्षकों से विचार–विमर्श किया जाता है। इसके व्यवहारिक हल पर विचार मंथन कर शिप्रोके को एक विकल्प की तरह प्रस्तुत किया जाता है। पालकों द्वारा शिप्रोके कार्यक्रम के बारे में और चर्चा करने पर **शिप्रोके कार्यक्रम का प्रस्ताव व शर्ते** रखी जाती हैं। किन परिस्थिति में शिप्रोके कार्यक्रम चलेगा या बंद कर दिया जावेगा।

केन्द्र खोलने पर सहमति के बाद उपस्थित लोगों से विचार–विमर्श कर एक दिन निश्चित कर पूरे गांव की मीटिंग आयोजित की जाती है। जिसमें केन्द्र **संचालक का चयन** किया जाता है। इसके बाद शिप्रोके **संचालन समिति का गठन** किया जाता है जिसमें गांव के ही 7 से लेकर 15 तक सदस्यों का चुनाव उपस्थित गांव वाले करते हैं। चयनीत सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव का चुनाव होता है। उसी दिन समिति द्वारा शिप्रोके कब और कहां लगना है तय किया जाता है। **समिति सदस्यों की जिम्मेदारी, दायित्व व अधिकारों** की चर्चा की जाती है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में एकलव्य सदस्यों की भूमिका नही होती है। इस दौरान वे मीटिंग से बाहर रहते हैं।

गांव कितना भी बड़ा हो लेकिन पहली बार में जहां ज्यादा जरूरत हो वहां एक केन्द्र खोला जाता है। इसके अनुभव के बाद मीटिंग करके आवश्यकतानुसार केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाती है। एक केन्द्र में उस मोहल्ले के पहली से पांचवी तक पढ़ने वाले 35 बच्चों को पढ़ाया जाता है।

मीटिंग में केन्द्र संचालक के चयन के बाद, केन्द्र संचालक को जिस मोहल्ले में पढ़ाना है उस मोहल्ले में प्राथमिक शाला जा सकने वाले सभी बच्चों का **ग्रामसर्वे** करना होता है। इस दौरान एकलव्य सदस्य केन्द्र

संचालक व स्कूल में पदस्थ सरकारी शिक्षक की मदद से गांव की प्राथमिक शाला में दर्ज सभी बच्चों का बेस लाइन टेस्ट (लिखित व मौखिक) लेते हैं।

ए बी सी अपेक्षाएं व एक समूह से दूसरे समूह में जाने के मापदण्ड

ए बी सी समूह बनाना व उसके आधार पर शिक्षण करने के पीछे सोच है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अनुभव व शैक्षिक प्रदर्शन के अनुसार शैक्षिक व दिशात्मक सहयोग दिया जा सके। बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय विद्यार्थियों को एक शिक्षक व्यवस्थित रूप से पढ़ा सके।

शिप्रोके की शुरूआत में बेसलाईन टेस्ट के आधार बच्चों को (ए, बी, सी) तीन समूह में छांटा जाता है। इसके बाद प्रत्येक समूह की दक्षता में विद्यार्थी की शैक्षिक स्थिति के अनुसार शिक्षण योजना बनाकर, दक्षतावार, टोलियों में बैठाकर, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। केन्द्र संचालक (शिक्षक) अध्यापन के दौरान विद्यार्थी द्वारा हासिल दक्षता का आकलन करते रहते हैं। जब वे आश्वस्त हो जाते हैं कि इस दक्षता में विद्यार्थी दक्ष हो गया है तो सतत आकलन शीट में विद्यार्थी के नाम के सामने (उस दक्षता वाले कालम में) वह तारीख लिख देते हैं जिसमें उन्होंने देखा है। इस तरह करते हुए जब विद्यार्थी सतत आकलन शीट की सभी दक्षताएं हासिल कर लेता है तो अगले समूह में चला जाता है।

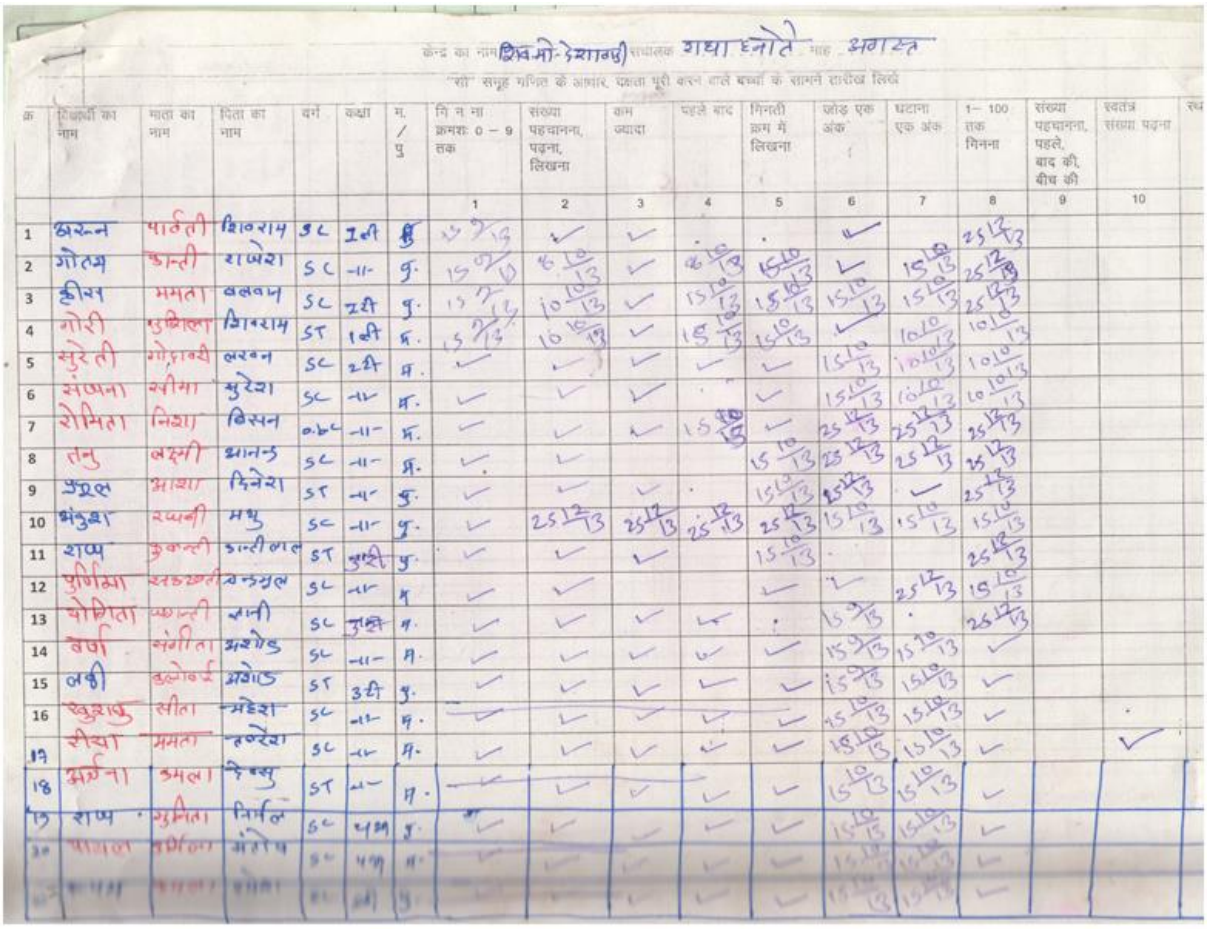

केन्द्र का नाम शिक्षा प्रो-(कैशलब्दी) संचालक राधा इनोते माह अगस्त

"स्ती" समूह गणित के आधार, दक्षता पूरी करने वाले बच्चों के सामने तारीख लिखें

क्र	विद्यार्थी का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	वर्ग	कक्षा	म./पु	गि न ना क्रमशः 0 – 9 तक	संख्या पहचानना, पढ़ना, लिखना	कम ज्यादा	पहले बाद	गिनती क्रम में लिखना	जोड़ एक अंक	घटाना एक अंक	1– 100 तक गिनना	संख्या पहचानना, पहले, बाद की, बीच की	स्वतंत्र संख्या पढ़ना
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त सतत आकलन (भाषा एवं गणित की) शीट जुलाई माह में लिए गए बेसलाईन टेस्ट के बाद भरी गई है। शीट में जहां सही का निशान लगा है वे दक्षताएं विद्यार्थी पहले से जानता है तथा जिनमें तारीख लिखी हुई हैं वे केन्द्र संचालक द्वारा शिक्षण के दौरान बच्चे की गतिविधियों का अवलोकन कर लिखी गयीं हैं।

इस संदर्भ में अधिक विस्तार से जानने के लिए **पृष्ठ कमांक 17 में शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में (सतत) आकलन की प्रकिया देखें।**

गांव की बसाहट–

बाहर से देखने में हर गांव एक व्यवस्थित इकाई के रूप में नज़र आता है। किन्तु हर क्षेत्र में गांव की बसाहट में विविधता है। आदिवासी क्षेत्र में प्रत्येक घर के पीछे कुछ जमीन बाड़ी के लिए छोड़ी जाती है। इससे गांव की बसाहट बिखरी हुई दिखाई देती है। इन क्षेत्रों में गांव की बसाहट का विस्तार जातिगत मोहल्ले व रिश्तेदारों के साथ होता जाता है। इन क्षेत्रों में जंगली ऊपज (महुआ, गुल्ली, अचार, तेंदूपत्ता, अन्य) एवं खेती जीविका का प्रमुख आधार होती है अतः जहां खेती होती है वहीं घर बनाकर रहने लगते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर दिखाई देता है। ऐसे परिवार के बच्चे नियमित स्कूल नही आ पाते। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पानी व सिचाई के साधन कम होने के कारण बरसाती पानी पर आधारित खेती प्रमुख होती है। जिससे आय की अनिश्चितता बनी रहती है।

इन क्षेत्रों में बड़े गांव में जाति आधारित मोहल्ले होते हैं। लेकिन अधिकांश बड़े गांवों में आदिवासी संख्या है।

ग्रामसर्वे

ग्राम सर्वे का काम चुने गए केन्द्र संचालक को करना होता है। केन्द्र आरंभ करने के पूर्व पता लगाना कि गांव/मोहल्ले में प्राथमिक शाला जाने योग्य कितने बच्चे हैं। वर्तमान में वे किसी स्कूल में दर्ज हैं। स्कूल में नियमित हैं या शाला त्यागी। सर्वे के दौरान ही पालकों से शिप्रोके के बारे में चर्चा करना व बच्चों को केन्द्र पर नियमित भेजने की बात करना भी होता है।

ग्राम सर्वे का प्रारूप इस प्रकार होता है –

बेस लाइन टेस्ट

जिस गांव में केन्द्र आरंभ करने का निर्णय होता है उस गांव की प्राथमिक शाला के सभी बच्चों का बेस लाईन टेस्ट केन्द्र संचालक एवं एकलव्य कार्यकर्ता मिलकर लेते हैं। सबसे पहले कक्षा पहली से पांचवी के सभी बच्चों से सी समूह का टेस्ट पेपर करवाया जाता है। सी समूह का पेपर पहली–दूसरी के स्तर का होता है। यह टेस्ट लिखित व मौखिक होता है। इसमें भाषा के पांच लिखित व दो मौखिक सवाल एवं गणित के पांच लिखित व दो मौखिक सवाल होते हैं।

टेस्ट देने वाले विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न में 80 प्रतिशत से अधिक सही हल करना होता है। जो विद्यार्थी भाषा व गणित के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं उन्हें बी समूह का टेस्ट पेपर हल करने को दिया जाता है। यह पेपर कक्षा तीसरी–चौथी के स्तर का होता है। यह टेस्ट भी भाषा व गणित में लिखित व मौखिक लिया जाता है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न में 80 प्रतिशत से अधिक सही हल करने वाला विद्यार्थी ए समूह में चला जाता है, हल न कर पाने वाले विद्यार्थी बी समूह में रह जाते हैं।

इस तरह बेस लाईन टेस्ट के आधार पर स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ए, बी व सी समूह में बांट लिया जाता है। जब ये विद्यार्थी शिप्रोके में जाते हैं तो केन्द्र संचालक के पास पहले से यह जानकारी उपलब्ध होती है कि कौनसा विद्यार्थी किस समूह में बैठेगा।

मोहल्ले का नक्शा –

केन्द्र में दर्ज बच्चों से संपर्क करने, केन्द्र की उपस्थिति की समीक्षा, पालक गोष्ठी में आने/न आने वाले पालकों से संपर्क आदि को मॉनिटर करने के मकसद से केन्द्र संचालक एकलव्य कार्यकर्ता की मदद से गांव का नक्शा बनाता है। इस नक्शे में केन्द्र में दर्ज बच्चों के घर दर्शाए जाते हैं। साथ में एक सूची बनाई जाती है जिसमें घर क्रमांक 1, 2, 3... होता है। घर क्रमांक के सामने विद्यार्थी का नाम, माता–पिता का नाम, वर्तमान कक्षा लिखा होता है।

हर माह जब केन्द्र में बैठक होती है तो समीक्षा की जाती है कि किस घर से बच्चे अनियमित हैं या कुछ दिनों से लगातार अनुपस्थित हैं। फिर केन्द्र संचालक, अनुवर्तनकर्ता, एकलव्य कार्यकर्ता उन बच्चों के पालकों से संपर्क करता है।

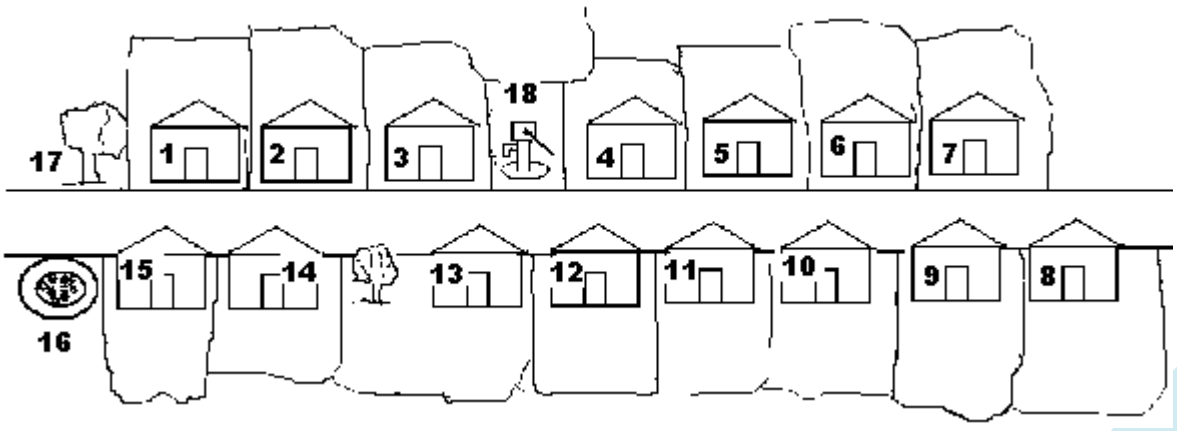

पेटी – वैसे तो पेटी सामान रखने के काम आती है किन्तु इसके विविध उपयोग इसकी उम्र कम कर देते हैं। मसलन बैठने के काम में लेना, इसके ऊपर भरी–भरकम सामान जमा देना। इन्हीं सब अनुभवों के आधार पर शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में दी जाने वाली पेटी के ढक्कन को टोपी के आकार में बनाया गया।

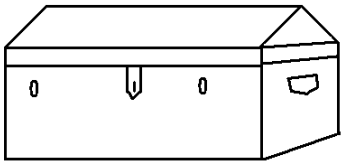

सह–शिक्षण सामग्री–

शिप्रोके में तीन तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहले से तैयार छपी हुई सामग्री। दूसरी केन्द्र संचालकों, अनुवर्तनकर्ताओं, एकलव्य कार्यकर्ता द्वारा त्वरित या कार्यशाला के दौरान तैयार सामग्री। जैसे– नाम कार्ड, गणित अभ्यास के कार्ड, गतिविधि कार्ड, मिट्टी, लकड़ी, पत्तियां, बीज आदि से तैयार सामग्री। तीसरी वे सामग्री है जिन्हें आसपास से आवश्यकतानुसार एकत्रित कर उपयोग किया जाता है।

अपने मोहल्ले के सर्वे से प्राप्त सूची अनुसार केन्द्र संचालक अपने कन्द्र में दर्ज होने वाले बच्चों की सूची तैयार करता है। साथ ही अपने गांव व उसमें स्थित **मोहल्ले का नक्शा** तैयार करता है। इस नक्शे में प्रभावित परिवारों का क्रमांक दर्शाया जाता है। साथ ही एक अलग से सूची तैयार की जाती है जिसमें प्रभावित परिवार व उसमें रहने वाले बच्चों का विवरण दर्ज होता है।

इस दौरान यदि आसपास कोई शिप्रोके पहले से संचालित है तो इस नए केन्द्र संचालक को उस केन्द्र पर एक सप्ताह तक रोज जाकर केन्द्र पर क्या और कैसे पढ़ा रहे हैं इसका अवलोकन कर डायरी लिखना होता है। इसके बाद एकलव्य सदस्य व अनुवर्तनकर्ता इस नए केन्द्र संचालक के साथ बैठकर बेस लाइन टेस्ट पेपर का प्रश्नवार विश्लेषण करते हैं तथा विषय के अंदर दक्षतावार बच्चों की क्या स्थिति है समझते हैं तथा पढ़ाने के दौरान कैसे समूह को उप समूह में बांट सकते हैं इसकी प्लानिंग करते है। इसके साथ ही एकलव्य द्वारा प्रदाय एक **पेटी** जिसमें शिप्रोके संचालन हेतु **सह–शिक्षण सामग्री**, रजिस्टर व **पुस्तकालय की किताबें** व **अन्य सामग्री** होती है।

इसके बाद केन्द्र संचालक नियमित केन्द्र लगाना आरंभ कर देता है। जिसे देखने का काम वहां के पालक, **अनुवर्तनकर्ता**, सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक व एकलव्य टीम के सदस्य करते हैं।

शिप्रोके में दो घंटे पढ़ाने की व्यवस्था होती है। इन दो घंटे में एक घंटा भाषा व एक घंटा गणित पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का तरीके में सह–शिक्षण सामग्री (पहले से तैयार की हुई अथवा परिवेश में उपलब्ध दोनों तरह की सामग्री हो सकती है।) की मदद से गतिविधि आधारित होता है।

शिप्रोके का प्रस्ताव व शर्तें –

- केन्द्र शुरू करने के पीछे समझ है कि बच्चे लिखना–पढ़ना सीखने में आत्मविश्वास बढ़ाएं ताकी वे नियमित स्कूल जाने से कतराएं नही। उन्हें स्कूल से डर नही लगे। अतः शिप्रोके स्कूल का विकल्प नही है। यदि बच्चे स्कूल नही जाएंगे और केवल केन्द्र पर ही आएंगे तो केन्द्र बंद करना पड़ेगा।
- यह कोई ट्यूशन सेंटर भी नही है जहां बच्चों को स्कूल में दिया गया होमवर्क करवाया जाए। यहां बच्चों को उनके स्तर से आगे का भाषा व गणित पढ़ाया जावेगा। ताकि वे सही मायने में सीख सकें।
- शिप्रोके में प्रत्येक समूह का विषयगत आधार पाठ्यक्रम है जिसे पूरा करने के बाद ही अगले समूह में जाना होगा। इसे जांचने व समझने का अधिकार हर पालक को होगा। ऐसे में प्रत्येक पालक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को नियमित स्कूल व शिप्रोके भेजे।
- ये केन्द्र तब तक ही काम करेगा जब तक पालक इसके संचालन में मदद करेंगे अन्यथा बंद कर दिया जावेगा।
- प्रत्येक माह केन्द्र की पालक गोष्ठी होगी जिसमें उस माह आपकी बेटी–बेटे ने क्या सीखा वह केन्द्र संचालक द्वारा बताया जावेगा यदि नही सीख सका तो उसके कारणों पर भी चर्चा होगी। अतः पालकों (माता–पिता)को हर माह मीटिंग में आना होगा।
- केन्द्र में आने वाले सभी बच्चे नियमित स्कूल जाएं। इसकी देखरेख केन्द्र संचालक व समिति सदस्यों की होगी। यदि गांव का सरकारी स्कूल लंबे समय तक नही लगता है या अनियमित लगता है तो उसे नियमित लगवाने के लिए पालकों को प्रयास करने होंगे । प्रयास न करने की स्थिति में शिप्रोके भी बंद करना होगा।

संचालक का चयन– गांव में सामूहिक पालक मीटिंग में शिप्रोके खोलने के निर्णय के साथ ही केन्द्र संचालक का चयन किया जाता है। इसमें एकलव्य सदस्य शामिल नही होते हैं। मीटिंग के दौरान गांव के कोई चार बुजुर्ग बैठकर गांव में पढ़े–लिखे युवक–युवतियों को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि आप में से कौन–कौन शिप्रोके में पढ़ाने का इच्छुक है ? हाथ ऊपर करो। इस दौरान जो भी पढ़ाने के इच्छुक हैं वे हाथ उठाते हैं। बुजुर्गों की टीम देखती है कि कौन–कौन पढ़ाने को तैयार है।

इसके बाद प्रत्येक संभावित केन्द्र संचालक को मीटिंग में पालकों को बताना होता है कि वह क्यों पढ़ाना चाहता है। वह इस दौरान क्या और करेगा। सभी उम्मीदवारों से मत जानने के बाद उपस्थित सभी पालकों से एक–एक संभावित केन्द्र संचालक का नाम लेकर (हाथ ऊपर कर) सहमति ली जाती है। किसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं वे चार बुजुर्ग गिनते जाते हैं। अंत में अपना मत व कारण देते हुए जिसे ज्यादा लोग पसंद करें उसे केन्द्र संचालक घोषित किया जाता है। कहीं–कहीं दो सदस्यों को भी चुन लिया जाता है यह कहते हुए कि जब पहले नंबर वाला केन्द्र संचालक छुट्टी जाएगा तो ये पढ़ाएगा।

केन्द्र संचालक की न्यूनतम योग्यता उसे ठीक से पढ़ना–लिखना व संख्या पहचान, जोड़–घटाना, गुणा–भाग आता हो।

गांव में यदि दो केन्द्र खोलना हैं तो पालक स्वयं तय कर लेते हैं कि एक केन्द्र लड़की चलाएगी और दूसरा लड़का।

एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि यदि गांव में एक केन्द्र खोलना है और चार युवा पढ़ाने के लिए तैयार हैं और उनमें से किसी एक को चुनना है तब पालक अधिक पढ़े व्यक्ति को केन्द्र संचालक नही चुनते हैं। कहते हैं ये हमारी सुनेगा नही। इसने ने कई जगह आवेदन दिया हुआ है कभी भी छोड़कर चला जाएगा।

समुदाय की भूमिका

संचालन समिति का गठन–

पूरे गांव की मीटिंग के दौरान ही संचालन समिति सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति में गांव वाले ऐसे सदस्यों का नाम प्रस्तावित करते है जिनकी पालकों के बीच पहुंच हो, जिनकी बात और लोग मानते हों। जो शिप्रोके जैसे कामों को आगे बढ़ाने में समझ व रूचि रखते हों। आमतौर पर समिति में 7 से 8 सदस्य होते हैं किन्तु इससे ज्यादा सदस्यों का नाम प्रस्तावित होने की स्थिति में सदस्य संख्या बढ़ा भी सकते हैं। समिति सदस्यों में गांव का कोई भी सदस्य महिला/पुरूष, युवा, जनप्रतिनिधि आदि सदस्य हो सकता है बशर्ते उसका नाम गांव के लोग प्रस्तावित करे। अक्सर देखा गया है कि समिति सदस्य में नाम प्रस्तावित करते समय उनसे पूछ लिया जाता है कि मीटिंग में आ पाओगे तो ही नाम रखे अन्यथा रहने दो।

वित्तिय व्यवस्था एवं प्रबंधन

शिप्रोके की शुरूआत में पढ़ाने वाले (केन्द्र संचालक) का वेतन 500 रू. प्रतिमाह निर्धारित किया गया। इसमें 250 रू. पालकों की ओर से तथा 250 रू. एकलव्य की ओर से दिए जाते थे। पालकों की ओर से दिए जाने वाले 250 रू. को पालक आपस में बातचीत करके (कौन कितना सहयोग कर सकता है या नही भी दे सकता है।) एकत्रित करके देते थे।

राशि संकलन की जिम्मेदारी शिप्रोके संचालन समिति सदस्यों की होती थी। प्रत्येक माह की 1 तारीख को एकलव्य की ओर से दी जाने वाली सहयोग राशि (250 रू.) समिति अध्यक्ष को दी जाती थी, फिर समिति अध्यक्ष पालकों द्वारा दी गई राशि में इसे मिलाकर केन्द्र संचालक को देता तथा रजिस्टर में पावती लेता। किस पालक ने कितनी सहयोग राशि दी इसका हिसाब केन्द्र संचालक द्वारा नियमित रजिस्टर में दर्ज किया जाता था जिसे कोई भी पालक देख सकता था। उन दिनों कोई पालक 2 रू. , कोई 5 रू. या 10, 15 रू. तक का सहयोग देते थे। कुछ पालक सहयोग राशि में रूपए न देकर अनाज या महुआ देते थे। कुछ पालक ऐसे भी थे जो अपनी सहयोग राशि उधारी में लिखवा देते थे तो कुछ सदस्य ऐसे थे जिनके परिवार से कोई बच्चा शिप्रोके में नही पढ़ता था फिर भी सहयोग राशि नियमित देते थे।

उपरोक्त व्यवस्था लगभग एक साल चली। इस एक साल में सहयोग राशि का एक ढांचा विकसित होने लगा। अब कुछ पालक हर माह नगद राशि देते और कुछ उधारी में लिखवा देते। जब उनके

पास पैसे या फसल आती तो वे पूरी राशि जमा कर देते। ऐसी स्थिति में केन्द्र संचालक को हर माह 500 रू. के स्थान पर कभी 300 तो कभी 350 रू. मिलते। कुछ केन्द्र संचालक के काम में लापरवाही दिखाई देने लगी। पालक गोष्ठी में इस पर सवाल उठते तो केन्द्र संचालक सहयोग राशि कम मिलने की शिकायत करते। लेकिन जब फसल आती तो पालक अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से जमा करते और केन्द्र संचालक को देते। कुछ पालक इस बात को याद रखते कि कब–कब केन्द्र संचालक ने लापरवाही की अतः अपनी ओर से दी जाने वाली सहयोग राशि में कटौती कर लेते।

शाहपुर क्षेत्र में अधिकांश पालकों के आय के स्रोत बरसाती फसल जैसे– मक्का, धान जो कि नवंबर–दिसंबर तक पकती है। इसके अलावा वनोपज जैसे– तेंदू पत्ता, महुआ, गुल्ली, अचार जो की मार्च से जून तक चलता है। इसके कारण लोगों के पास दो बार नगद पैसे एकत्रित होते हैं एक नवंबर–दिसंबर, दूसरा मई–जून।

इस दौरान एकलव्य ने देखा कि प्रत्येक केन्द्र पर बच्चों की स्टेशनरी पर पूरे साल के दौरान 2500 से 3000 रू. के लगभग खर्च हो रहा था जिसे एकलव्य द्वारा पूरा किया जा रहा था। अतः हमने पालक मीटिंग में विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया कि पालकों की ओर से दी जाने वाली सहयोग राशि 250 रू. प्रतिमाह एकलव्य द्वारा दी जावेगी। अब केन्द्र संचालक को प्रतिमाह 500 रू. समिति सदस्य/अध्यक्ष के माध्यम से दिए जाएंगे और बच्चों की स्टेशनरी पर होने वाला खर्च पालकों द्वारा सहयोग राशि के द्वारा पूरा किया जावेगा।

इसके बाद सभी केन्द्रों पर देखा गया कि पालक मीटिंग में समिति द्वारा सूची तैयार की गई कि केन्द्र पर क्या और कितनी स्टेशनरी लगेगी। लंबी–लंबी लिस्ट बनी। समिति सदस्य और केन्द्र संचालक बाजार गए। भाव पूछे और केवल बहुत जरूरी सामान लेकर आए बाकी यह कहते हुए छोड़ दिया कि अगली बार लेंगे। पालक मीटिंग में बात हुई थी कि प्रत्येक बच्चे को पेंसिल के स्थान पर दो रिफील वाला पेन देंगे, 200 पेज के दो नोटबुक देंगे। लेकिन खरीदते समय बजट को देखते हुए दो बच्चों के बीच एक पेंसिल, दो नोटबुक की जगह 80 पेज की कॉपी खरीदी गई। सामग्री वितरण के समय समिति सदस्य, पालकों ने बच्चों के बीच मीटिंग की। एक पेंसिल के दो टुकड़े किए गए। उनकी नोंक पालकों ने बनाई, केन्द्र संचालक को हिदायत दी गई कि शार्पनर अपने पास रखे बच्चों को न दें नही तो बच्चे पेंसिल जल्दी खत्म कर देंगे। बच्चे कॉपी के पन्ने न फाड़ें इसके लिए प्रत्येक पन्ने पर बच्चों से क्रमशः नंबर लिखवाए गए। उन्हें पालकों ने धमकाया कि हम चैक करेंगे कि बीच में से कोई पन्ना तो नही फाड़ा यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे अगली कॉपी नही मिलेगी। कुछ पालकों ने बच्चों को हिदायत दी कि पहले पन्ने से लिखना है, एक पन्ना छोड़कर न लिखें।

तब से अब तक शिप्रोके में बच्चों द्वारा इस्तेमाल स्टेशनरी का खर्च पालक मिलकर करते हैं। केन्द्र संचालक के मानदेय में महंगाई के साथ बदलाव होते गए। 500 रू. से 750, फिर 1000, 1100, 1250, 1500, 1800 और वर्तमान में 2000 रू. दिया जाता है। इस दो हजार रू. में एकलव्य द्वारा 1500 तथा पालकों द्वारा संकलित सहयोग राशि में से 500 रू. दिए जाने की अपेक्षा है। मानदेय समिति के माध्यम से दिया जाता है। प्रत्येक माह की 30 तारीख तक समिति द्वारा केन्द्र संचालक के कार्यदिवस गिनकर, अनुवर्तनकर्ता के माध्यम से एकलव्य को बताया जाता है। एकलव्य द्वारा समिति अध्यक्ष के नाम से वाउचर तैयार कर समिति को भेजा जाता है। वाउचर पर समिति अध्यक्ष एवं केन्द्र संचालक के हस्ताक्षर होने के बाद, वाउचर में लिखी राशि सीधे केन्द्र संचालक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

समिति सदस्यों की जिम्मेदारी, दायित्व व अधिकार

- समिति सदस्यों की प्रमुख जिम्मेदारी है कि शिप्रोके का नियमित दौरा कर केन्द्र में चल रही पढ़ाई को देखें, अपने सुझाव व टिप्पणी दें। जिसमें केन्द्र निर्धारित समय व स्थान पर लग रहा है कि नही।
- केन्द्र संचालक नियमानुसार काम कर रहा है या नही। यदि ठीक से काम नही कर रहा है तो उसे समझाईस देना, फिर भी बदलाव न दिखे तो केन्द्र संचालक को हटाकर नए केन्द्र संचालक का चुनाव करना।
- केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज संख्या के अनुसार है या नही। यदि उपस्थिति कम है तो पता लगाना किस–किस के घर से बच्चे नही आ रहे हैं उनके पालकों से बच्चों को केन्द्र व स्कूल में नियमित भेजने के लिए बातचीत करना।
- केन्द्र संचालक को केन्द्र संचालन में आ रही दिक्कतों को समझना व उन्हें हल करने का प्रयास करना।
- केन्द्र में बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी, झोपड़ी की मरम्मत हेतु गांव से केन्द्र संचालक व अनुवर्तनकर्ता के साथ मिलकर सहयोग राशि संकलन करना।
- बच्चों की बैठक व्यवस्था हेतु शिप्रोके के लिए झोपड़ी बनाना।
- हर माह केन्द्र संचालक की डायरी देखकर एकलव्य द्वारा प्रदाय सहयोग राशि केन्द्र संचालक को प्रदाय करना।
- हर माह केन्द्र पर आयोजित मासिक गोष्ठी में आना। बच्चों की उपलब्धि की जांच करना। अपने सुझाव देना।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र का ढांचा व लोगों की जिम्मेदारियां–

शिप्रोके पर नियमित पढ़ाने का काम केन्द्र संचालक करते हैं। उन्हें किस बच्चे को कहां से पढ़ाना आरंभ करना है, इसमें बेस लाईन टेस्ट के परिणाम मदद करते हैं।

केन्द्र संचालक–

गांव/मोहल्ला स्तर पर केन्द्र संचालक होता है। जिसका प्रमुख काम केन्द्र में दर्ज बच्चों को रोज दो घंटे पढ़ाना होता है।

केन्द्र संचालक की जिम्मेदारी व काम –

- केन्द्र में दर्ज बच्चों को निर्धारित समयानुसार शिक्षण करना। दर्ज बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना।
- नियमित डायरी लेखन, जिसमें शैक्षिक प्लानिंग के साथ–साथ रोज के शैक्षिक क्रियाकलाप की जानकारी, अनियमित बच्चों के न आने का कारण, पालक संपर्क का विवरण आदि का जिक्र हो।
- शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र का व्यवस्थित व नियमित रिकार्ड रखता हो।
- मासिक/पाक्षिक गोष्ठी /प्रशिक्षण में नियमित, सक्रिय भागीदारी।
- केन्द्र नियमित, समय पर लगाता हो, स्थानीय सामग्री का निर्माण व एकलव्य द्वारा प्रदाय सामग्री का व्यवस्थित रख–रखाव।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में बढ़ोत्तरी हो।

वेतन – केन्द्र संचालक के काम की मॉनिटरिंग एकलव्य एवं समिति सदस्य के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है किन्तु केन्द्र कितने दिन लगा ? केन्द्र संचालक की छुटटी का ब्यौरा समिति द्वारा रखा जाता है। प्रत्येक माह केन्द्र संचालक के कार्यदिवस की जानकारी समिति सदस्य, अनुवर्तनकर्ता के माध्यम से एकलव्य को देते हैं। एकलव्य द्वारा कार्यदिवस के अनुसार बनी राशि एवं वाउचर समिति को दिया जाता

है। समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सहयोग राशि रजिस्टर पर दर्ज करके, केन्द्र संचालक के हस्ताक्षर लेकर वह राशि केन्द्र संचालक को देते हैं। (केन्द्र संचालक को 2000 रू. प्रतिमाह की दर से मानदेय देते हैं।)

अनुवर्तनकर्ता की जिम्मेदारी व काम –

प्रति पांच से सात केन्द्र के बीच एक अनुवर्तनकर्ता होता है। अनुवर्तनकर्ता का चयन केन्द्र संचालकों के बीच में से किया जाता है। अनुवर्तनकर्ता को कम से कम एक वर्ष शिप्रोके संचालन का अनुभव होना आवश्यक होगा। अनुवर्तनकर्ता को आवंटित शिप्रोके का प्रति माह में दो बार अनुवर्तन करना होता है।

- हर माह बनाई गई अनुवर्तन प्लानिंग के अनुसार अनुवर्तन करे व रिकार्ड रखे।
- हर माह की मासिक/पाक्षिक गोष्ठी /अनुवर्तनकर्त्ता गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि में नियमित, सक्रिय भागीदारी।
- नियमित पालक गोष्ठी, पालक संपर्क, प्राथमिक शाला के शिक्षकों से संपर्क व संपर्क से सकारात्मक उपलब्धि।
- फिल्ड में आने वाली दिक्कतों का समिति सदस्यों के साथ मिलकर निदान ढूंढ़ना। निदान न मिलने पर कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष यथावत प्रस्तुतिकरण कर समस्या हल करने में सहयोग लेना।
- बच्चे, केन्द्र संचालक, शिक्षक, पालक के साथ सक्रिय संपर्क। केन्द्र संचालक को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। मूल्यांकन, शैक्षिक प्लानिंग व कक्षाध्यापन में प्रदर्शन गतिविधि करके मदद करना।

सहायक समन्वयक की जिम्मेदारी व काम –

- हर माह पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार अनुवर्तन करना। अनुवर्तन डायरी लेखन। केन्द्र संचालक, अनुवर्तनकर्त्ता की डायरी से कार्यक्रम के संबंध में लिखी टीप।
- मासिक गोष्ठी का संचालन, उसमें करवाई गई गतिविधियाँ, प्लानिंग, पालक गोष्ठी, घर संपर्क व उससे प्राप्त सकारात्मक उपलब्धि व उनका रिकार्ड रखना। दी गई जिम्मेदारी का जवाबदारी से पूरा करना।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि समझने के उद्देश्य से करवाए टेस्ट को दर्ज करना, विषलेषण में सहयोग प्रदान करना।
- केन्द्र संचालकों के लिए वितरित सहयोग राशि का तटस्थतापूर्ण वितरण व संस्थगत हितों का ध्यान रखना।
- रचनात्मक कामों में बच्चों, पालकों, केन्द्र संचालक व सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।
- नियमित पढ़ना। इसमें विशेषकर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, भाषा, गणित, बाल मनोविज्ञान आदि कुछ उदाहरण हो सकते हैं। पढ़ने के साथ–साथ उनका फिल्ड में अनुभव करना, अपनी डायरी में सउदाहरण दर्ज करके समूह में और लोगों से चर्चा करना आदि।
- बच्चों, शिक्षक, पालक से क्या सीखा।

कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी व काम –

- संस्थागत संस्कृति व पद की गरिमा के अनुरूप काम करना।
- हर माह कार्यक्रम की समीक्षात्मक रिर्पोट तैयार करना।
- पूरे समूह के साथ कार्यक्रम के शैक्षिक व प्रशानिक पहलूओं की प्लानिंग करना व उसका समयानुसार पालन करना।
- हर माह पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार अनुवर्तन करना। अनुवर्तन डायरी लेखन। सहायक समन्वयक, केन्द्र संचालक, अनुवर्तनकर्त्ता की डायरी से कार्यक्रम के संबंध में समीक्षात्मक जानकारी निकालना, समीक्षात्मक टीप लेखन।

- मासिक गोष्ठी का संचालन का स्तर, उसमें करवाई गई गतिविधियाँ, प्लानिंग, पालक गोष्ठी, घर संपर्क व उससे प्राप्त सकारात्मक उपलब्धि के आधार पर कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निर्णय, उन्हें पूरा करने के लिए टीम के लिए आवश्यक कार्यशाला/गोष्ठी/प्रशिक्षण व उसका परिणाम।
- अधीनस्थ समस्त शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्रों व उस कार्यक्षेत्र की प्राथमिक शालाएं, शिक्षकों के साथ ऐसा समन्वय कि कार्यक्रम को स्थिरता की तरफ ले जाए। सक्रिय लोगों का जुड़ाव, तालमेल।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि समझने के उद्देश्य से करवाए टेस्ट का विश्लेषण कर रिर्पोट तैयार करना व आगे के शैक्षिक काम की दिशा तय करना।
- केन्द्र संचालकों के लिए वितरित सहयोग राशि का तटस्थतापूर्ण वितरण व संस्थागत हितों का ध्यान रखना। कार्यक्रम के अन्य वित्तीय क्रियाकलाप संचालित करना व उनका ठीक ढंग से हिसाब रखना।
- रचनात्मक कामों में बच्चों, पालकों, केन्द्र संचालक व सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।
- नियमित पढ़ना तथा कार्यक्रम समूह के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। उनके द्वारा पढ़ी बातों पर चर्चा करना, स्वयं तथा और लोगों की समझ पुख्ता करना। इस संदर्भ में उनके द्वारा लिखे किसी लेख या डायरी के हिस्सों को संस्था के और लोगों/पत्रिका आदि तक ले जाना। उनका फील्ड में अनुभव करना। इसमें विशेषकर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, भाषा, गणित, बाल मनोविज्ञान आदि कुछ उदाहरण हो सकते हैं।
- बच्चों, शिक्षक, पालक व अपने साथियों से क्या सीखा।

बच्चों द्वारा हासिल उपलब्धि को जानने व पालकों तक पहुंचाने व अगली शैक्षिक योजना बनाने में के लिए सतत आकलन शीट का उपयोग किया जाता है। इसे हर माह केन्द्र पर होने वाली पालक गोष्ठी में पालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
केन्द्र संचालकों को मई में 8 दिन का तथा नवम्बर–दिसंबर में 6 दिन का प्रशिक्षण एकलव्य द्वारा दिया जाता है। साल में दो बार क्रमशः 8 व 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षण विधि –शिक्षण योजना

एक केन्द्र में कक्षा पहली से पांचवी के 30 से 35 विद्यार्थी होते हैं। इन्हें बेसलाईन के आधार पर बने समूह (ए, बी एवं सी) में बैठाकर पढ़ाया जाता है। शुरूआत में ए समूह में सबसे कम विद्यार्थी (4 से 7 तक) होते हैं। इससे कुछ ज्यादा बी समूह में होते हैं और सबसे ज्यादा सी समूह में।

ए समूह के विद्यार्थी पढ़ना और लिखना जानते हैं अतः केन्द्र संचालक इन्हें ऐसी गतिविधियां करवाते हैं जिन्हें वे स्वयं से पढ़कर करते रहें और कम से कम समय केन्द्र संचालक का लें। इससे कुछ ज्यादा समय बी समूह के विद्यार्थी को देना होता है। कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें ए और बी समूह मिलकर कर सकें। केन्द्र संचालक दोनों समूह को काम देने के बाद सी समूह के साथ गतिविधियां करवाता है। केन्द्र संचालक का ज्यादा समय सी समूह के साथ बीतता है।

किस समूह को क्या पढ़ाना है इसका निर्धारण बेसलाईन टेस्ट के परिणामों के आधार पर तय किया जाता है। केन्द्र संचालक मासिक गोष्ठी के दौरान बेसलाईन डाटा शीट देखकर समीक्षा करते हैं कि कौन–कौनसे विद्यार्थी, किस–किस दक्षता में बेहतर प्रदर्शन नही कर पा रहे हैं। इन दक्षताओं को अगले माह की शिक्षण योजना में डाला जाता है। इनके लिए शिक्षण सामग्री व गतिविधियों का चयन या निर्माण करना होता है। अस्पष्टता की स्थिति में स्रोत सदस्य से चर्चा की जाती है।

शिक्षण विधि– भाषा

शिप्रोके में पढ़ाई का आधार बच्चों का पूर्वानुभव से जोड़कर की जाती है। केन्द्रों में संदर्भ से भाषा सीखने पर जोर दिया जाता है। पढ़ना सीखने के लिए सिध्दांततः वाक्यों से शुरूआत करने पर सहमति है किन्तु मिश्रित प्रक्रिया (शब्द एवं वाक्य से शुरूआत करना) अपनाई जाती है। भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों पर काम किया जाता है।

सभी केन्द्रों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां अक्षर, मात्रा, शब्द फिर वाक्य की प्रक्रिया से पढ़ाया जाता है। हमारे सभी साथी भी इसी प्रक्रिया से पढ़कर आए हैं अतः संदर्भ से भाषा शिक्षण को समझने–समझाने में काफी वक्त लगता है।

भाषा शिक्षण की पढ़ाई सुनना–समझना व बोलना से की जाती है। जिसमें कक्षा में बच्चों द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखना, उनपर बातचीत करना शामिल होता है। अभिव्यक्ति के लिए चित्र पर बातचीत, दिनचर्या (आज सुबह से अब तक क्या–क्या किया।) बालपुस्तकालय की ऐसी पुस्तकें जिनमें चित्र अधिक हों, काफी मददगार होती हैं।

अभिव्यक्ति में स्थानीय लोकगीत, विभिन्न त्यौहारों/कार्यक्रमों विशेष में गाए जाने वाले गीत (फाग, टेसूगीत) में बच्चे व पालकों से दिशा व मदद मिलती है। कविता को हावाभव के साथ गाना, कविता के पात्रों का रोलप्ले करना। कहानी को सुनकर उसे अपने शब्दों में सुनाना, कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, जैसी गतिविधियां समझने के साथ–साथ अभिव्यक्ति को और सशक्त बनाती है। जिसे शिप्रोके में नियमित किया जाता है।

लिखित अभिव्यक्ति से पहले मिट्टी से खिलौने व शिक्षण सामग्री बनाना, तीली, पत्ती, कंकड़, चूड़ी के टुकड़े जमाकर तरह–तरह के पैटर्न बनाना, ईंट, खपरा के टुकड़ों का धिसकर तिकोन,गोल, चौकोर आकृतियां बनाना, फार्म ड्राइंग करना, रेत में चित्र, आकृति, पैटर्न बनाना, कंकड़ जमाकर आकृतियां बनाना, पेपर कटिंग की गतिविधियां, धागे को पानी में भिगोकर तरह–तरह की आकृतियों में जमाना, चित्र बनाना, अधूरे चित्र पूरे करना, चित्रों में रंग भरना जैसी गतिविधियां करवाई जाती हैं।

पढ़ना–लिखना सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी बच्चों के मौलिक चिंतन व लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान उन्हें ऐसी गतिविधियां करवाई जाती हैं जिसमें उन्हें अपने अनुभव एवं मन की बातें (विचार) लिखने के अधिक अवसर हों। इसके लिए सभी केन्द्रों पर सप्ताह में एक बार, बच्चों द्वारा बालअखबार तैयार करना, संबंधित स्कूलों में बालसभा करना, जैसी गतिविधियां नियमित की जाती है।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्रों का एक प्रमुख उद्देश्य पालकों का जुड़ाव और बच्चे के सीखने की क्षमता में यकीन दिलाना भी है। ऐसी स्थिति में सिध्दांतों के साथ–साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अतः केन्द्रों पर बच्चे का नाम लिखना, माता–पिता का नाम लिखना, पूरा पता लिखना जैसी गतिविधियों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है ताकी पालक बच्चे की उपलब्धि से प्रभावित होकर उसे नियमित केन्द्र व स्कूल भेजने के लिए सोचे।

बच्चे बेहतर अभिव्यक्ति कर सके, उनका जुड़ाव बेहतर हो, उनकी समझ बेहतर बने इसके लिए स्थानीय भाषा को केन्द्र में शिक्षण का माध्यम बनाया जाता है। इससे बच्चों के अलावा उनके पालकों की रूचि व भागीदारी सहज बनी रहती है।

शिक्षण विधि– गणित

गणित शिक्षण में ठोस वस्तुओं से गतिविधियां तथा व्यवहारिक गणित से शुरूआत की जाती है। ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं करके समझने के मौके जरूर मिले। तीनों समूह में गतिविधि आधारित ठोस सामग्री से गणित समझने पर जोर दिया जाता है। सामग्री का स्वरूप बदलता जाता है। समूह सी में कंकड़, तीली और अंक कार्ड होते हैं तो समूह बी में तीली–बंडल के साथ नकली नोट, स्थानीयमान कार्ड आदि। सरकारी स्कूल की तुलना में शुरूआत थोड़ी धीमी होती है। समूह सी में 1 से 50 तक संख्या पहचान, 2, 5 के समूह बनाना, संख्या पढ़ना–लिखना और एक अंक का जोड़–घटाना पर ध्यान दिया जाता है।

समूह बी में संख्या पहचान 1 से 100 के बीच पक्की करना। हासिल का जोड़, उधार का घटाना, एक अंक का गुणा व भाग करवाया जाता है।

समूह ए में चारों संकियाओं में बेहतर समझ बना लेने के बाद, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, औसत, प्रतिशत, आयतन जैसी दक्षताओं पर अभ्यास करवाए जाते हैं।

अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षण– शिप्रोके के नियमित दो घंटे की पढ़ाई में इतना समय नही होता की अन्य विषयों की पढ़ाई करवाई जा सके। गर्मी की छुट्टियों में केम्प का आयोजन किया जाता है। केम्प के दिनों में रोज चार घंटे शिक्षण कार्य होता है। इस दौरान अंग्रेजी शिक्षण तथा विज्ञान के प्रयोग करवाए जाते हैं।

सतत आकलन (बेसलाईन से शिक्षण योजना बनाने तक)

जिस गांव में शिप्रोके आरंभ करना होता है वहां के प्राथमिक स्कूल में दर्ज सभी (कक्षा पहली से पांचवी तक के) बच्चों का पहले सी समूह का (भाषा व गणित का लिखित व मौखिक) प्री–बेसलाईन टेस्ट लिया जाता है। ठीक एक साल के बाद इन्हीं बच्चों की शैक्षिक प्रगति समझने के उद्देश्य से पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट करवाने से पहले वातावरण को सहज व अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को परीक्षा जैसा न लगे। इसके साथ कुछ खेल गतिविधि जाती है। माहौल को अनुकूल बनाने के बाद टेस्ट को बच्चों से करवाया जाता है। टेस्ट में भाषा एवं गणित के लिखित एवं मौखिक सवाल होते हैं। मौखिक टेस्ट एक–एक बच्चे के साथ बैठकर अलग से करवाया जाता है।

सभी बच्चों का बेसलाईन टेस्ट पूरा करवाने के बाद, पूरी टीम बैठकर बच्चों द्वारा हल किए गए पेपर को उनके नाम के साथ (जैसा बच्चे ने लिखा है वैसा ही) रिकार्डशीट में दर्ज करती है। इसके बाद रिकार्डशीट की जानकारी को संकलित शीट में (सही या गलत) परिवर्तित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न में देखा जाता है कि कितने जवाब सही है। जिन बच्चों ने (भाषा व गणित के लिखित व मौखिक में) प्रत्येक प्रश्न में पांच में से चार तक सही उत्तर दिए हैं, उन्हें अगले समूह के टेस्ट के लिए चुना जाता है।
बी समूह के लिए चुने गए बच्चों का बी स्तर का टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट में भाषा एवं गणित के लिखित एवं मौखिक सवाल होते हैं।
सी समूह की तरह ही बी समूह के टेस्ट के उत्तरों को पहले रिकार्डशीट में फिर संकलित शीट में (सही या गलत) परिवर्तित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न में देखा जाता है कि कितने जवाब सही है। जिन बच्चों ने (भाषा व गणित के लिखित व मौखिक में) प्रत्येक प्रश्न में पांच में से चार तक सही उत्तर दिए हैं (80 प्रतिशत सही) उनको अगले समूह ए के लिए चुना जाता है। इस तरह स्कूल के सभी विद्यार्थियों को तीन समूह में चिन्हित कर लिया जाता है।

सतत आकलन शीट																									
केन्द्र का नाम – – – – – – – – – – – – – – केन्द्र संचालक का नाम – – – – – – – – – – दिनांक से –																									
				भाषा ''सी'' समूह के आधार											गणित ''सी'' समूह के आधार										
क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	माता/पिता का नाम	कक्षा	स्वतंत्र चित्र बनाना।	अपना नाम लिखना	माता का नाम लिखना	पिता का नाम।	कविता – एकल हावभाव के साथ सुनाना।	कहानी – एकल हावभाव के साथ सुनाना।	10–15 चित्र नाम पढ़ना।	10–15 चित्र नाम लिखना।	दिए गए अक्षर, मात्रा से शब्द बनाना पढ़ना	सरल वाक्य पढ़ना।	सरल वाक्य लिखना।	गिनना क्रमशः 0 – 9 तक।	संख्या पहचानना पढ़ना लिखना।	कम ज्यादा।	पहले बाद।	क्रम में लिखना।	जोड़ एक अंक।	घटाना एक अंक।	1–100 तक गिनना।	संख्या पहचानना।	पढ़ना।	स्थानीयमान।
				1	2			3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									

जो बच्चे बी स्तर की सभी दक्षता पर आधारित सभी प्रश्नों का सही जवाब देते हैं उन्हें ए समूह के लिए तथा जो नही कर पाते हैं उन्हें बी समूह में रखा जाता है। शिप्रोके कार्यक्रम में तीनों समूह के लिए दक्षतावार मापदंडों को आधार मानकर सतत आकलन शीट बनाई गई है।
जब उस गांव में शिप्रोके आरंभ होता है तब बेसलाईन टेस्ट की स्थिति के अनुसार सतत ए, बी, सी आकलन शीट (दक्षतावार) में प्रत्येक बच्चे की जानकारी दर्ज की जाती है। एक समूह की आकलन शीट में उस समूह के सभी बच्चों का नाम एवं संबंधित दक्षता में उसकी स्थिति दर्ज होती है। इसी शीट में बच्चे की सतत शैक्षिक प्रगति को केन्द्र संचालक द्वारा दर्ज किया जाता है।
शिप्रोके में बच्चों की बैठक व्यवस्था कक्षावार न होकर समूहवार होती है। केन्द्र संचालक हर माह बच्चों की दक्षता और अपेक्षा को समझते हुए, तीनों समूह के लिए मासिक शिक्षण योजना बनाते हैं। योजना

बनाते समय दोनों विषय में शिक्षण क्रम,(पहले क्या पढ़ाना, फिर उसके बाद) खासकर सी समूह के लिए प्रमुख आधार होता है। यह भी देखा जाता है कि कौनसे बच्चे केवल एक या दो दक्षता पूरी न कर पाने के कारण उस समूह में रूके हैं। ऐसे बच्चों की टोली बनाकर शिक्षण कार्य करने की योजना बनाते हैं और उसे गतिविधि एवं सह–शिक्षण सामग्री के माध्यम से पूरा करवाते है। गतिविधि करवाने के दौरान केन्द्र संचालक बच्चों का आकलन करते रहते हैं। जिस दिन वे देखते है कि इस दक्षता में विद्यार्थी ठीक करने लगा है तो रिकार्डशीट (सतत आकलन शीट) में उसके नाम के आगे बने दक्षता कालम में तारीख लिख देते हैं। सतत आकलन शीट की एक प्रति फाईल में तथा दूसरी दीवार पर लगी होती है। जिसे कोई भी पालक देख सकते हैं। प्रत्येक माह मासिक गोष्ठी में तीनों समूह की सतत आकलन शीट तथा शिक्षण योजना की समीक्षा, अगली प्लानिंग व सह–शिक्षण सामग्री निर्माण किया जाता है।साथ ही हर माह यह भी रिकार्ड किया जाता है कि कितने बच्चे एक समूह से दूसरे समूह में गए हैं।

माह में एक बार पालक गोष्ठी की जाती है जिसमें पालकों को सतत आकलन शीट दिखाई जाती है। यदि कोई विद्यार्थी उस माह में बदलाव नही कर पाया तो उसके कारणों पर चर्चा की जाती है। यदि कोई विद्यार्थी नियमित केन्द्र पर आया है, सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है और फिर भी नही सीख पाया है तो अगले माह सह–शिक्षण सामग्री व गतिविधियों में बदलाव करके देखा जाता है। कुछ विद्यार्थियों में पाया है कि वे एक या दो माह प्रगति नही करते किन्तु उसके बाद काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं।

जब विद्यार्थी सी समूह की सभी दक्षताएं हासिल कर लेते हैं तो वे बी समूह में दर्ज कर लिए जाते हैं।

बी समूह सतत आकलन शीट

केन्द्र का नाम – – – – – – – – – – – – केन्द्र संचालक का नाम – – – – – – – – – दिनांक से – – – –

				भाषा "बी" समूह के आधार							गणित "बी" समूह के आधार												
क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	माता/पिता का नाम	कक्षा गॉव, दोस्तों के नाम लिखना–पढ़ना।।	किसी विषय पर चार – पॉच वाक्य लिखना।	किसी पैराग्राफ कहानी का श्रुतिलेखन लिखना।	पैराग्राफ पढ़ना	कविता कहानी के प्रश्न उत्तर करवाना।	मौखिक दिनचर्या, घटना, वितरण किसी विषय पर बोलना।	दिए गए विषयों पर चित्र बनाना।	तीन अंक तक की संख्या पहचानना व पढ़ना।	1–100 तक क्रम ज्यादा।	पहले–बाद –बीच	घटते – बढ़ते क्रम में जमाना।	समूह में गिनना।	हासिल का जोड़	उधार का घटा	100 तक गुणा एक अंक का।	101 तक भाग एक अंक का।	इबारती मौखिक	इबारती लिखित	स्थानीय मान	विस्तारित रूप
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							

सी से बी में जाने की प्रक्रिया का कोई समय निश्चित नही है। हर माह बच्चे एक समूह से दूसरे समूह में जा सकते हैं लेकिन दूसरे समूह में तभी जाएंगे जब पहले समूह की (भाषा और गणित की) सभी दक्षता पूरी कर लेंगे। नियमित एवं सक्रिय गतिविधियों में भाग लेने वाले कुछ बच्चे कम समय (नौ माह से 1 साल तक) में सी से बी में चले जाते हैं। कुछ अनियमित बच्चे और भी अधिक समय लेते हैं।

अभी तक की समीक्षा में पाया कि अधिकांश बच्चे बी समूह में (सी और ए समूह की तुलना में) सबसे कम समय रहते है। औसतन बच्चे चार से छह माह में ए समूह में चले जाते हैं। बी से ए समूह में जाने का आधार होता है बी समूह की सभी दक्षताओं को हासिल कर लेना।

बी समूह की सभी दक्षता हासिल कर बच्चे ए समूह में जाते हैं। इस समूह में भाषा और गणित की अपेक्षित दक्षताओं को दो श्रेणी में रखा गया है। एक न्यूतम अपेक्षाएं। ए समूह में आने के बाद (1 से 10 तक, संलग्न ए समूह की आकलन शीट में देखें)दक्षताओं को पहले फोकस किया जाता है। इन्हें हासिल कर लेने के बाद शेष दक्षताओं पर गतिविधियां करवायी जाती हैं। ऐसा करने के पीछे दो तर्क हैं एक–ए समूह में अपेक्षित दक्षताएं काफी विस्तृत है। इसमें प्रत्येक शिक्षक अपनी समझ व बच्चों के स्तर को देखते हुए दक्षताएं जोड़ सकता है। ऐसे में जरूरी हैं कि पहले क्या करवाएं ? शिक्षकों की शिकायत होती है कि जब बच्चे न्यूनतम अपेक्षाओं(दक्षताओं) को हासिल कर चुके होते हैं तो केन्द्र में

ए समूह की सतत आकलन शीट

केन्द्र का नाम – – – – – – – – – – – – – – केन्द्र संचालक का नाम – – – – – – – – – – दिनांक से – – – – – – – – – –

				भाषा समूह ''ए'' के आधार																	गणित समूह ''ए'' के आधार																		
क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	माता/पिता का नाम	दैनिक दिनचर्या लिखना व सुनाना।	पूरा पता	मन से कविता, कहानी, घटना का विवरण लिखना।	पुस्तक, अखबार पढ़ना व समझना।	अखबार की खबर तैयार करना।	स्थानीय भाषा में अनुवाद	कविता कहानी को समझकर उसके लिए चित्र बनाना।	आवेदन पत्र लिखना	पत्र लिखना	निबंध लेखन लिखना	कविता को कहानी व कहानी को कविता के रूप में लिखना	सूची व तालिका बनाना	प्रयोग करना।	अवलोकन को लिखना।	चित्र बनाना	नक्शा पढ़ना, समझना बनाना।	सामान्य ज्ञान के प्रश्न	जोड़	घटा	गुणा	भाग	स्थानीय मान, विस्तारित रूप,	इबारती लिखित मौखिक,	लाभ हानि के सवाल करना	सम विषम,	रूढ़,	भिन्न,	बिल	लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक,	साधारण ब्याज,	औसत,	प्रतिशत,	वर्गमूल,	क्षेत्रफल,	आयतन,	समय व विभिन्न इकाई, मापन, समय, दूरी
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							

उसके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण करने को नही होता है। वह आना बंद कर देता है। अतः कुछ भाषा, गणित से हटकर विज्ञान, पर्यावरण की दक्षताएं भी होना चाहिए। दूसरा तर्क है कि जो बच्चे पांचवी में हैं और कुछ ही समय पहले ए समूह में आएं हैं तो उन्हें ए समूह में न्यूनतम पहले करवा सकें ताकी अगली कक्षा में उन्हें दिक्कत न हो।

सतत आकलन की प्रक्रिया में तीन समूहों में समन्वय करके काम करना। बड़ी चुनौती होता है, खासकर तब जब आपके जुड़ाव का आधार सार्थकता और रूचिकर काम हो। आपको किसी तरह का शारीरिक बल इस्तेमाल करने पर पाबंदी हो। इस चुनौती से जूझने के लिए पूर्व तैयारी (सामग्री, गतिविधि, विषय की स्पष्टता) बहुत जरूरी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी तैयारी स्वयं की होती है। जिसमें अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ना बहुत आसान नही होता।

- पूर्वाग्रह बच्चों द्वारा सामग्री के इस्तेमाल, रखरखाव और सम्हालकर रख देंगे, चोर कर घर नही लें जाएंगे।
- बराबरी से बैठकर काम करने का।
- इस वर्ग, लिंग का विद्यार्थी भी ये कर सकता है।
- बच्चों की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि का।

- उम्र और अनुभवों के अंतर का।
- सीखने की प्रक्रिया में यकीन का।
- खुद करके देखने से झिझकना।

इस प्रक्रिया की विशेषता है कि जितने ज्यादा सहयोगी (बच्चे, पालक, साथी शिक्षक, अन्य) काम उतना आसान, उतना उपलब्धि का प्रसार।

सतत आकलन की प्रक्रिया में मासिक गोष्ठी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक हर माह की निश्चित तारीख को प्लानिंग एवं समीक्षा के लिए मिलते हैं। जहां समूहवार एवं दक्षतावार बच्चों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। नही सीख पा रहे बच्चों के कारण व निदान पर योजना बनाई जाती है।

हर माह पालक गोष्ठी में पालकों का मिलना, शिक्षक के काम को सराहना, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त प्रक्रिया में केवल भाषा और गणित की कुछ दक्षताओं को आधार बनाकर आकलन किया जाता है। बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण, कुछ दिशात्मक सहयोग मिल जाए तो बाकी की दक्षताएं वे और माध्यमों से स्वयं हासिल कर लेते हैं या उन्हें हासिल करने के स्रोत स्वयं तलाश लेते हैं। सतत आकलन की उपरोक्त प्रक्रिया को स्कूल में भी करके देखा है। स्कूल में कुछ समय के लिए कक्षा और कक्षास्तर की पाबंदी हटा दी जाए तो काफी बच्चों को प्राथमिक स्तर की सार्थक पढ़ाई दी जा सकती है और वे अगली कक्षा की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

कुछ बच्चे कक्षा उन्नति के चलते अगली कक्षा में, फिर अगली कक्षा करते हुए पांचवी पास कर लेते है किन्तु उन्हें कक्षा दूसरी के स्तर का ज्ञान नही होता। ऐसे बच्चों को समय रहते शिक्षण सहयोग मिल जाए तो वे आगे की पढ़ाई में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं।

दस्तावेजीकरण–

कार्यक्रम का असर आंकने के लिए वर्ष अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान संचालित शिप्रोके में से 72 केन्द्रों को चुना गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आरंभ किए गए केन्द्रों प्राथमिकता दी गई।

चुने गए केन्द्रों की उपथिति पंजी, डेली डायरी, सतत आकलन शीट को संकलित कर उनसे डाटा शीट तैयार की गई। प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर कार्यक्रम के प्रभाव को दस्तावेजों में दर्ज किया किया। इसके अलावा केन्द्र पर पढ़े बच्चों से लिखित साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में उन बच्चों को शामिल किया गया जिन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी या 12 वी कक्षा से छोड़ दी।

साक्षात्कार के अलावा इन बच्चों का डाटा भी संकलित किया गया है। जैसे– जिन्होंने पढ़ाई जारी रखी वे वर्तमान में किस कक्षा में हैं ? उन्हें शिप्रोके से आगे की पढ़ाई में किस तरह की मदद मिली ? कहां कठिनाई आई ? शिक्षक का व्यवहार ? पुस्तकालय और उसका अनुभव ? वे और उनके माता–पिता शिप्रोके के बारे में क्या सोचते हैं ? आदि।

चयनीत प्रत्येक शिप्रोके से पढ़ाई करके अगली कक्षा में गए (कक्षा 7 से 12 तक के) 3 लड़के और 3 लड़कियों से नीचे दिए प्रारूप के अनुसार एक साक्षात्कार लिया गया। सवाल जिनके उत्तर हम खोजना चाहते थे?

विद्यार्थियों से लिए गए साक्षात्कार का प्रारूप –

नाम _____ उम्र _____ वर्ग _____ लिंग _____

शिक्षा _____ वर्तमान में क्या करते हैं? _____

1 आपने शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में कितने साल पढ़ाई की ? [ ]

2 शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में आपको किसने पढ़ाया ? उनका नाम [ ]

3 उस समय केन्द्र संचालक आपको कैसे लगते थे ?

अच्छे	बहुत अच्छे	सामान्य

4 आपके घर में कौनसी भाषा बोलते हैं ? [ ]

5 केन्द्र में कौनसी भाषा उपयोग में लाते थे ? [ ]

6– कक्षा में पढ़ाई के दौरान बैठक व्यवस्था कैसी रहती थी ? .....

7– आपके केन्द्र संचालक कहां बैठते थे ? .....

8– आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्र संचालक आपसे कौन–कौनसे काम करवाते थे ?

9– आपके द्वारा की गई कोई एक गतिविधि लिखो ?

10– क्या आपके सवालों का जवाब केन्द्र संचालक देते थे ?

11– केन्द्र संचालक को और कौनसे काम करने चाहिए जिससे बच्चे और बेहतर सीख सकें ?

12– केन्द्र में पढ़ाई जाने वाली किताबें आपको कैसी लगती थीं, कोई एक –दो किताबों का नाम लिखो?

13–आपके पास से किताब खो जाए तो आप क्या करते थे ?

14– आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में क्या अच्छा लगता था और क्या कमी थी ?

15– क्या आपको पढ़ाई में घर में भी मदद मिलती थी ? किससे ?

16– क्या आप भविष्य में केन्द्र संचालक बनना चाहोगे ?

17– आप पुस्तक पढ़ना किस कक्षा में सीख गए थे ?

18– आपके कुछ साथी जो केन्द्र में नही आते थे वे अब क्या कर रहे हैं?

19–आपको शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र से आगे की पढ़ाई में कुछ मदद मिली क्या ? किस प्रकार की ?

20– आपके माता–पिता शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के बारे में क्या कहते हैं ?

21– इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहें।

डाटा का विश्लेषण करने पर पाया कि

Table
The status of 5700 children enrolled in SPK during 2007-14, as on 31stMrach 2014

	Currently enrolled at school	Dropped out at
PS class 2 to 5	2312	60
MS class 6 to 8	1637	160
HS 9th to 12 th	1444	87
Total	5393	307

% at school	95
% dropped out	05

डाटा संकलन की प्रकिया–

उपस्थिति रजिस्टर से उन बच्चों कि सूची तैयार की गई जो बच्चे अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान शिप्रोके में पढ़े हैं। इसमें वर्ष 2014 के दौरान पहली में दर्ज बच्चों को छोड़ दिया गया। फिर संबंधित गांव में संपर्क कर पता लगाया गया कि ये बच्चे वर्तमान में क्या कर रहे हैं। यदि पढ़ रहे हैं तो किस कक्षा में या पढ़ाई छोड़ दी तो किस कक्षा से। पढ़ाई छोड़ने का कारण ?

इस तरह 72 शिप्रोके में 5700 बच्चों की सूची तैयार हुई। इसमें से 307 बच्चों ने अलग–अलग कारणों से (प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी में) पढ़ाई छोड़ दी।

शिप्रोके संचालित गांवों में केन्द्र में दर्ज बच्चों का जातिगत वर्गवार प्रतिशत–

अलग–अलग क्षेत्र में देखा जाए तो शाहपुर क्षेत्र में आदिवासी 90 प्रतिशत से अधिक हैं। जबकि हरदा क्षेत्र में दलितों का प्रतिशत 33 है और होशंगाबाद में 31 प्रतिशत। पिछड़ा वर्ग में सबसे अधिक प्रतिशत 66 होशंगाबाद क्षेत्र का रहा है। सामान्य श्रेणी में शाहपुर क्षेत्र में एक भी विद्यार्थी नही था।

अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान शिप्रोके में दर्ज एवं पढ़े, विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति का **शैक्षणिक विशलेषण**–

- अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान 72 शिप्रोके में 2372 विद्यार्थी दर्ज हुए एवं 2312 विद्यार्थी नियमित (दूसरी से पांचवी)स्कूल जा रहे है। 60 – 4 = 56 विद्यार्थियों (4 विद्यार्थी शांत हो गए।) ने विभिन्न कारणों के चलते पढ़ाई छोड़ दी।
- अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान 72 शिप्रोके से पढ़कर 1797 विद्यार्थी माध्यमिक शाला में दर्ज हुए एवं 1637 विद्यार्थी नियमित (छटवी से आठवी)कक्षा में पढ़ रहे है। 160 विद्यार्थियों ने विभिन्न कारणों के चलते पढ़ाई छोड़ दी।
- अप्रैल 2007 से मार्च 2014 के दौरान 72 शिप्रोके से पढ़कर गए 1531 विद्यार्थी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी में दर्ज हुए एवं 1444 विद्यार्थी नियमित (9 से 12 वी)कक्षा में पढ़ रहे है। 87 विद्यार्थियों ने विभिन्न कारणों के चलते पढ़ाई छोड़ दी।

	Study in SPK			Regular in School			Dropout		
Class	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
9 th to 12 th	792	739	1531	744	700	1444	48	39	87
in %	52	48	100	48.6	45.7	94.3	3.1	2.5	6

उपलब्धि–

- ✓ शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में दर्ज बच्चों में से प्राथमिक शाला स्तर पर 97.5 प्रतिशत बच्चे नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।

- ✓ शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में पढ़े विद्यार्थियों में से 91.1 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में नियमित अध्ययनरत है।
- ✓ शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र में पढ़े विद्यार्थियों में से 94.3 प्रतिशत विद्यार्थी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्तर की शिक्षा में नियमित अध्ययनरत है।
- ✓ यदि माध्यमिक एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों की संख्या जोड़ दी जाए तो कहा जा सकता है कि वर्ष 2007 अप्रैल से 2014 मार्च के दौरान 72 शिप्रोके में पढ़कर 3328 विद्यार्थियों ने पांचवी उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में दाखिला लिया।
- ✓ इसी तरह कहा जा सकता है कि वर्ष 2007 अप्रैल से 2014 मार्च के दौरान 72 शिप्रोके में पढ़कर गए विद्यार्थियों में से 1531 विद्यार्थी आठवी उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में दाखिला लिया।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को निशुल्क साइकिल दी जाती है। इसका प्रभाव पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या व कम ड्रापआऊट के रूप में दिखाई देता है।

प्राथमिक शाला स्तर ड्रापआऊट विद्यार्थियों का विश्लेषण–

प्राथमिक शाला स्तर पर कुल (56 विद्यार्थी) 2.5 प्रतिशत ड्रापआऊट हुए हैं।

Drop out in Primary			
Age group	M	F	Total
9 to12	3	4	7
13 to 14	8	2	10
15 to 16	11	15	26
Above	7	10	17
Total	**29**	**31**	**60**

- ○ शिप्रोके की शुरूआत में प्राथमिक शाला आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना प्रमुख लक्ष्य था। इस प्रयास में औसत आयु वर्ग के बच्चे तो नियमित स्कूल की धारा से जुड़ गए और वे अभी भी आगे पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। किन्तु कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो स्कूल में तो दर्ज थे लेकिन कभी–कभी स्कूल आ पाते थे या आते ही नही थे। इन बच्चों को केन्द्र में शामिल किया लेकिन बड़ी उम्र के होने के कारण ये घर के कामों में व्यस्त हो गए। इन बच्चों में खासकर लड़कियां बहुत कम केन्द्र पर आ सकी। इनमें से अधिकांश बच्चों ने केवल एक साल ही शिप्रोके में पढ़ाई की है।
- ○ केन्द्र से दूरी, इनमें कुछ बच्चे गांव से बाहर गुवाड़ी (खेत में बना घर जहां पशु भी रखे जाते हैं।) में रहते थे। जहां से बरसात या ठंड में केन्द्र पर पहुंचना आसान नही था।
- ○ गरीबी, जिसके चलते पढ़ाई से ज्यादा मजदूरी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में उम्र यदि 16 के पार हो तो घर वालों की अपेक्षा हो जाती है कि काम पर जाओ, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए समय कम हो जाता है। शाहपुर एवं होशंगाबाद में इसका प्रभाव दिखाई देता है।

माध्यमिक शाला स्तर पर कुल (160 विद्यार्थी) ड्रापआऊट 8. 9 प्रतिशत विद्यार्थी ड्रापआऊट हुए हैं।

माध्यमिक शाला स्तर पर कुल 160 विद्यार्थी हुए। ड्रापआऊट (8.9 प्रतिशत विद्यार्थियों) में 67 बालक एवं 93 बालिका हैं। शिप्रोके में कुल दर्ज विद्यार्थियों में से प्रतिशत में देखें तो बालक 3.7 प्रतिशत और बालिका 5.2 प्रतिशत ड्राप आऊट हुए है।

Drop out in Middle school			
Age group	M	F	Total
9 to12	10	14	24
13 to 14	25	31	56
15 to 16	29	37	66
Above	3	11	14
Total	**67**	**93**	**160**

माध्यमिक शाला स्तर ड्रापआऊट की प्रमुख वजह –

- ○ उम्र ? जब हमने ड्रापआऊट बच्चों के परिवार में संपर्क किया तो पाया अधिकांश लड़कियों की शादी हो चुकी है। परिवार के प्रमुख का कहना था क्या करते आगे पढ़ाई तो कर नही रही थी। होशियार (18–19 साल की) हो गई थी। तो हमने शादी कर दी।

- परिवार की आर्थिक जरूरतों के चलते लड़के–लड़कियां मजदूरी करने लगते हैं।
- शाहपुर और होशंगाबाद क्षेत्र में कुछ गांव में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यादव समाज के बच्चे अधिक हैं। यादव समाज में बच्चों की शादी कम उम्र में करने की परंम्परा है। कानूनी दबाव के चलते इसमें काफी बदलाव आया है फिर भी पालक बच्चे के व्यस्क होते ही शादी कर देते है।
- वर्ष 2009 के पहले आर.टी.ई. नही था। कुछ बच्चे माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करते तक दो से तीन बार फेल हो चुके होते थे। ऐसे में आठवी तक आते–आते 17–18 साल के हो जाते थे।

शिप्रोके के माध्यम से पढ़े 1531 विद्यार्थियों में से (हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्तर पर) 1444 विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। 87 ड्रापआऊट विद्यार्थियों में (5.7 प्रतिशत विद्यार्थियों) 48 बालक एवं 39 बालिका हैं। हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्तर पर बालिकाओं की तुलना में बालक अधिक ड्रापआऊट हुए।

9th to 12 th Droup out		
M	F	Total
48	39	87
3.10%	2.50%	5.70%

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर ड्रापआऊट की प्रमुख वजह – लड़कों की तुलना में लड़कियां कम ड्रापआऊट हुई हैं। इस पर पालकों की टिप्पणी थी लड़कियां गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान देती हैं।

- उम्र, परिवार की आर्थिक स्थिति से जूझते हुए जो विद्यार्थी आगे बढ़ पाए उन्हें बोर्ड परिक्षाओं ने रोक लिया।
- कुल ड्रापआऊट में 27 विद्यार्थियों ने कक्षा 9 में फेल हो जाने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। जबकि 21 ने 10 वी फेल होने के कारण पढ़ना छोड़ दिया। 9 विद्यार्थियों ने 11 की पढ़ाई के दौरान बाहर काम करने चले गए। 14 विद्यार्थी 12 वी में फेल हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। 11 विद्यार्थी नियमित पढ़ाई छोड़कर घर के काम और खेती करते हुए प्रायवेट पढ़ाई कर रहे हैं। 5 लड़कियों ने शादी हो जाने के कारण 11 एवं 12 से पढ़ाई छोड़ दी।
- उपरोक्त कारण विद्यार्थियों ने बताए किन्तु इनके पीछे और कारण भी जुड़े हुए हैं। अधिकांश गांव में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। और हाई स्कूल के लिए 20 से 25 किलोमीटर। ऐसे में जंगल के रास्ते से आना–जाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में या तो बच्चे दाखिला नही लेते या दाखिला ले भी लेते हैं तो अनियमित स्कूल जाते हैं, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर दिखता है।

सुझाव/टिप्पणी –

- यदि सभी हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रावास अनिवार्य हो जहां सभी विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर सकें तो काफी बच्चे आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
- विगत पांच–सात वर्षो में काफी विद्यार्थी पत्राचार पाठ्यक्रम (ओपन स्कूल) से 10 वी एवं 12 वी की पढ़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें दो बाधाएं प्रमुख है पहली परीक्षा केन्द्र काफी दूर होता है। इसके कारण सुबह जल्दी केन्द्र पर पहुंचने में काफी असुविधा होती है। चाहे फार्म भरना हो या परीक्षा देना हो। ऐसी स्थिति में लड़के तो पहुंच जाते हैं किन्तु लड़कियों को काफी दिक्कतें आती हैं। दूसरी बाधा है समय पर शिक्षण सामग्री न मिलना। साथ ही कुछ समय कोचिंग/टयूशन मिल जाए तो मदद मिल सकेगी।
- हर गांव में एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें 14 से अधिक आयु के लड़के–लड़किया भविष्य में क्या–क्या कर सकते हैं ? वे क्या करना चाहते हैं ? इसके लिए क्या तैयारी करना होगी ? कहां जाना ? किससे मिलना ? आदि पर बातचीत हो।

आंकड़े क्या कहते हैं।

शाहपुर क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें एक से अधिक केन्द्र संचालित किए गए। इसके पीछे समझ यह

34 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चों की जानकारी/डाटा विकासखण्ड–शाहपुर													
Primary School							Middle School						
	SPK			Non SPK				SPK			Non SPK		
	M	F	Total	M	F	Total		M	F	Total	M	F	Total
Total	1172	1087	2259	182	170	352		720	694	1414	135	124	259
Regular	1151	1070	2221	86	69	155		690	652	1342	52	52	104
in %	51%	47.4%	98.3%	24.4%	19.6%	44%	in %	48.8%	46.1%	94.9%	20.1%	20.1%	40.2%
Droup	21	17	38	96	101	197	Droup	30	42	72	83	72	155
in %	0.9%	0.8%	1.7%	27.3%	28.7%	56%	in %	2.1%	3.0%	5.1%	32.0%	27.8%	59.8%

थी कि पूरा गांव कवर करना है। हमारे काफी प्रयास के बावजूद इन गांव में कुछ बच्चे केन्द्र तक नही आ सके।

61 शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के अंतर्गत 2261 परिवार का डाटा संकलित किया गया। इन केन्द्रों में 51 केन्द्र पूर्णतः आदिवासी आबादी वाले थे। शेष 10 केन्द्रों में मिक्स आबादी थी। इनमें आदिवासी के अलावा दलित व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी अधिक थे। पढ़ाने वाले केन्द्र संचालकों में 45 आदिवासी (29 पुरूष तथा 16 महिला) 8 दलित महिला तथा 8 पिछड़ा वर्ग (4 पुरूष तथा 4 महिला) थे।

इन परिवारों से कितने बच्चे प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी तक नियमित पढ़े या बीच में से पढ़ाई छोड़ दी, यह नीचे दिए चार्ट में देखा जा सकता है।

34 गांव के स्कूल जाने वाले बच्चों की जानकारी/डाटा विकासखण्ड–शाहपुर											
Class 9 to 12								Collage			
SPK		M	F	Total	M	F	Total		M	F	Total
Total		580	566	1146	150	125	275	SPK	38	25	63
Regular		546	539	1085	76	76	152	Non spk	5	3	8
in %		47.6%	47.0%	94.7%	27.6%	27.6%	55.3%	Total	43	28	71
Droup		34	27	61	74	49	123				
in %		3%	2.4%	5.3%	26.9%	17.8%	44.7%				
Class 9		19	20	39	40	24	64				
Class 10		11	6	17	27	18	45				
Class 11		1	1	2	1	3	4				
Class 12		3	0	3	6	4	10				

उपरोक्त चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन के नजरिए से नही देखा जा सकता है। क्योंकि छवद ैच्ज्ञ वाले बच्चे विभिन्न परिस्थितियों के कारण शिप्रोके नही आ सके और उनकी यही परिथतियां स्कूल न जाने पर भी लागू होती हैं। ये परिस्थितियां अलग–अलग परिवारों के साथ अलग–अलग हो सकती है। हमने इनमें से कुछ को समझने का प्रयास किया। जो इस प्रकार थीं।

- घर और स्कूल/शिप्रोके के बीच दूरी अधिक होना। ऐसे परिवार खेत/बाड़ी में घर बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं। इसके चलते बच्चे स्कूल में अनियमित होते–होते आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- घर की आर्थिक स्थिति – इसके चलते माता–पिता दोनों काम में जाते हैं और छोटे भाई–बहन की जिम्मेदारी बच्चे पूरी करते हैं और वे स्कूल नही आते। 15–16 की उम्र होते तक वे माता–पिता के साथ आर्थिक जरूरतें पूरी करने में सहयोग करने लगते हैं।
- उपरोक्त दोनों कारणों से बच्चे स्कूल अनियमित आते हैं जिससे उनकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा कमजोर रहती है और वे जनरल प्रमोशन के चलते माध्यमिक कक्षाओं में दर्ज तो हो जाते है किन्तु आगे की पढ़ाई समझ नही आती और वे पढ़ाई छोड़ देते हैं।
  उपरोक्त डाटा तालिका स्पष्ट है कि यदि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई में मदद मिल जाए तो 95 प्रतिशत बच्चे हाईस्कल/हायर सेकेण्डरी तक पढ़ाई जारी रखते हैं।

साक्षात्कार के आंकड़े और उनका विशलेषण

साक्षात्कार की प्रकिया –

जो बच्चे शिप्रोके में पढ़ चुके हैं उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया। एक गांव में जिन बच्चों का साक्षात्कार लेना होता था उन्हें किसी एक के घर इक्टठा कर लेते थे। कुछ देर उनसे वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा होती। शिप्रोके से निकलकर स्कूल की पढ़ाई तक के सफर में क्या बेहतर लगा, किस तरह की कठिनाई आई ? शिक्षक के व्यवहार, पढ़ाने के तरीके आदि पर चर्चा होती। कुछ बच्चों के साथ चर्चा में वातावरण भावुक हो जाता। पुराने दिन, खेल गतिविधि, केम्प, एक्सपोजर विजिट के लिए बाहर जाना, काफी सारी बातें बच्चों को याद थीं। चर्चा में उनसे पूछते कि क्या आप शिप्रोके के बारे में कुछ सवाल का जवाब लिखकर देना चाहोगे ? उनकी सहमति के बाद उन्हें साक्षात्कार वाला कागज लिखने को दिया जाता।

कुछ गांव में साक्षात्कार के लिए जिन बच्चों को चुना गया था वे नही मिले। लगभग 35 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर (छात्रावास, बैतूल में, भोपाल में) रह रहे हैं। उनके पालकों से चर्चा हुई। पालकों का कहना था कि सब शिप्रोके के कारण संभव हो सका।

साक्षात्कार में 15 शिप्रोके के 48 बालक एवं 58 बालिका को शामिल किया गया।

प्रस्तुत है बच्चों के साक्षात्कार प्रपत्र का विश्लेषण एवं निष्कर्ष –

106 Student's Interview in 15 SPK (Shahpur Block in Betul Distt. M.P.)									
Class	Category								
	ST		SC		OBC		Genral		Total
	Male	Femal	Male	Femal	Male	Femal	Male	Femal	
7	2	7	3	0	0	1	0	0	13
8	3	14	2	0	3	0	0	0	22
9	9	9	1	1	0	1	0	0	21
10	11	15	0	0	0	1	0	0	27
11	6	4	0	0	1	0	0	0	11
12	6	4	0	0	1	1	0	0	12

Total	37	53	6	1	5	4	0	0	106

शिप्रोके में कितने समय पढ़े	
No. of year	No. of Students
1 year	2
2 year	8
3 year	19
4 year	10
5 year	67
Total	106

लगभग सभी बच्चों को अपने–अपने केन्द्र संचालक जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था उनके नाम याद थे।

केन्द्र संचालक के बारे में बच्चो का मत। प्रतिशत में

घर में कौनसी भाषा बोलते हैं ?

39 प्रतिशत (आदिवासी) बच्चे अपने घर में गोंडी, पारसी, कोरकू भाषा बोलते हैं। जबकि 46 प्रतिशत (आदिवासी) बच्चे अपने घर हिन्दी बोलते हैं। ये काफी गंभीर समस्या का संकेत है। इसका अर्थ है कि 46 प्रतिशत बच्चों ने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया है। इस साक्षात्कार में 7 प्रतिशत दलित बच्चे हैं। सभी ने अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखी है। इन्होंने भी अपनी मातृभाषा छोड़ दी है। 8 प्रतिशत बच्चे पिछड़ा वर्ग हैं। ये भी मानते हैं कि इनकी मातृभाषा हिन्दी है।

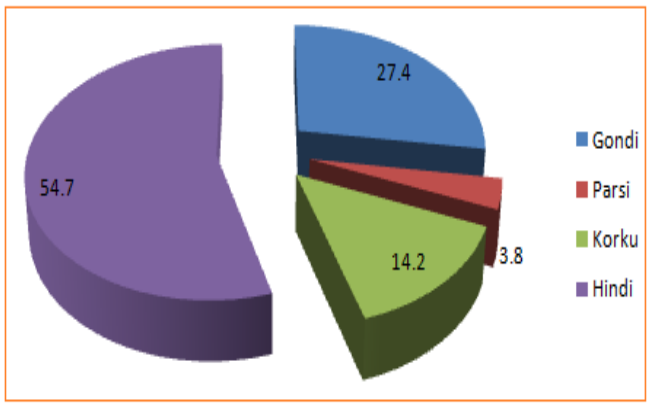

- सभी बच्चों ने लिखा है कि शिप्रोके में शिक्षण का माध्यम हिन्दी था।
- पढ़ाई के दौरान बैठक व्यवस्था पर बच्चों ने दो तरह के जवाब दिए 37 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है, पढ़ाई के दौरान बैठक व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। 63 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है हम समूह में बैठकर पढ़ाई करते थे। सभी बच्चे शिप्रोके में पढ़ाई के लिए की गई व्यवस्था समूहवार शिक्षण को पसंद कर रहे हैं।

पढाई के दौरान शिक्षक कहां बैठते थे ?

85 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक (केन्द्र संचालक) हमारे साथ समूह में बैठकर पढ़ाते थे। जबकि 15 प्रतिशत विद्यार्थी ने लिखा है कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक (केन्द्र संचालक) हमारे अलग (कुर्सी, बेंच, खटिया आदि पर) बैठकर पढ़ाते थे।

आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्र संचालक आपसे कौन–कौनसे काम करवाते थे ?

लगभग सभी बच्चों का मानना है कि अभ्यास करने पर अधिक ध्यान दिया जाता था। 32 प्रतिशत बच्चों का कहना है गणित के अभ्यास (जोड़,घटाना, गुणा–भाग,पहाड़े बनाना, याद करना) पर काम करवाया जाता था। 24 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि शिक्षक पुस्तक वाचन, श्रुतिलेखन, निबंध लेखन पर ध्यान देते थे। 19 प्रतिशत बच्चों का कहना है कि शिक्षक केवल अभ्यास करवाते थे। जिसमें कंकड़, तीली, नोट की मदद से सवाल हल करना, सवाल बनाना, चित्रकार्ड से कहानी बनाना, कविता, कहानी का अपनी भाषा में अनुवाद करना। 8 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि शिक्षक साफ–सफाई की बातें बताते थे, मिट्टी से सामग्री बनवाते थे। अखबार बनवाते थे। शेष बच्चों ने लिखा है कि शिक्षक विज्ञान के प्रयोग करवाते थे। अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे क्या और कैसे पढ़ाई करना है इस पर चर्चा करते थे।

जब बच्चों से पूछा गया कि आपके द्वारा की गई **कोई एक गतिविधि लिखो ?** इस पर लगभग बच्चों ने उनके द्वारा की गई गतिविधि का नाम लिखा है।

क्या आपके सवालों का जवाब केन्द्र संचालक देते थे ?

इसके जवाब में 100 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है जी, हां, हमारे सभी सवालों का जवाब केन्द्र संचालक देते थे।

लेकिन जब उनसे पूछा गया कि **केन्द्र संचालक को और कौनसे काम करने चाहिए ?** जिससे बच्चे और बेहतर सीख सकें ?

इसके जवाब **"और कौनसे"** को छोड़ दिया और बहुत सारे सुझाव दे दिए। जैसे–

- 20 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि बच्चों को खेल–खेल में सीखाना चाहिए।
- 9 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि शिक्षक को बच्चों से ब्लैकबोर्ड पर काम करवाना चाहिए।
- 8 प्रतिशत बच्चों का कहना है कि मैडम तो हमको बहुत अच्छे से समझाती पर पर बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए।
- 11 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि बच्चों से पुस्तक पढ़वानी चाहिए।
- 7 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि केन्द्र संचालक/शिक्षक को केन्द्र/स्कूल की सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
- 6 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि केन्द्र संचालक को बच्चों से अधिक से अधिक मेहनत करवाना चाहिए
- 4 प्रतिशत बच्चों का सुझाव है कि शिक्षक को खुद भी काम करना चाहिए।
- अंग्रेजी भी पढ़ाना चाहिए।
- भविष्य में कुछ बन सकें ऐसी शिक्षा देना चाहिए।
- बच्चे की पढ़ाई में आगे कोई बाधा न आए, बुध्दिमान बने।
- बच्चों को प्रेम से पढ़ना चाहिए। आगे की पढ़ाई बेहतर हो।
- कंकड़ों से सवाल हल करना जिससे बच्चे आसानी से सवाल सीख सकें।
- केन्द्र संचालक को और अच्छे से पढ़ना, समझाना चाहिए।
- बेहतर पढ सके तो सब सीख सकते हैं।
- बच्चों को हॅसी–मजाक और खेल–कूद में पढ़ाना चाहिए।
- लिखने की अधिक से अधिक गतिविधियां करवाना चाहिए।

- घर को साफ रखने की सीख देना चाहिए।

केन्द्र में पढ़ाई जाने वाली किताबें आपको कैसी लगती थीं, कोई एक –दो किताबों का नाम लिखो?

किताबें कैसी लगती थी में सभी बच्चों ने किताबों की तारीफ की है। सभी को किताबें अच्छी लगती थी। जिस तरह सभी बच्चों ने उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों के नाम लिखे हैं उससे समझ में आता है कि उन्होंने काफी किताबें पढ़ी होंगी। सवाल को किस तरह समझा ये इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 23 प्रतिशत बच्चे केन्द्र में पढ़ाई जाने वाली किताब (हिन्दी और गणित) पढ़ो लिखो मजा करो भग–1 एवं 2 को अच्छी किताब मानते हैं। वहीं 23 प्रतिशत बच्चे चकमक और अन्य एक किताब (बालपुस्तकालय की किताब) का अपनी पसंद की किताब लिखते हैं। जबकि 43 प्रतिशत बच्चों ने बालपुस्तकालय की दो किताबें जो उन्हें अच्छी लगी उनके नाम लिखे हैं। 11 प्रतिशत बच्चे बालपुस्तकालय की सभी किताबों को अच्छी व पसंद की किताब मानते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि शिप्रोके में बालपुस्तकालय का नियमित संचालन किया गया। बच्चों ने पुस्तकालय की लगभग किताबों को पढ़ा है।

पुस्तकालय की किताब खो जाने की स्थिति में आप क्या करते थे ?

23 प्रतिशत बच्चों ने लिखा कि वे केन्द्र संचालक को बता देते थे कि किताब खो गई है। वे सब मिलकर ढूढ़ते थे।

24 प्रतिशत बच्चों ने लिखा कि वे अपने दोस्त, सहेली की मदद से ढूढ़ते रहते थे।

28 प्रतिशत बच्चे लिखते हैं पुस्तक खो जाने पर किसी से मांगकर पढ़ लेते थे।

11 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि पुस्तक खो जाने पर दंड भरना पढ़ता था। दंड का अलग–अलग प्रावधान था। कुछ बच्चों ने लिखा है कि सबसे पहले बोर्ड पर किताब का नाम लिख देते थे। यदि किसी के पास हुई तो मिल जाती थी और यदि नही मिली तो उसका मूल्य शिक्षक के पास जमा करते थे। शिक्षक उसे रजिस्टर में प्राप्त राशि के साथ लिखते थे। कुछ बच्चे लिखते है, हम अपनी गलती महसूस करते थे फिर किताब का शुल्क केन्द्र संचालक को देकर दूसरी किताब मंगवाते थे।

14 प्रतिशत बच्चे लिखते हैं हम किताब सम्हालकर रखते थे। हमारे हाथ से कभी कोई किताब खोई ही नही।

आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में क्या अच्छा लगता था और क्या कमी थी ?

इस प्रश्न में दो पक्ष थे एक क्या अच्छा लगता था और दूसरा क्या कमी थी।

52 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है किताबों में दी गई कविता, कहानी, नाटक, जीवनी, ज्ञान की बातें अच्छी लगती थी। उससे हमें काफी सीखने को मिला किताबों में कहीं कोई कमी नही थी। वहीं 4 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि कहानी की किताबें कम थी।

36 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि सब कुछ अच्छा लगता था। इन्होंने कमियों का जिक्र नही किया है। 2 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है, पुस्तक पढ़ने के बाद समझ बनी कि हमें जीव–जन्तुओं की मदद करनी चाहिए।

शेष बच्चों ने भी अपने विचार लिखें है। जैसे– पुस्तक की अच्छी बातें अच्छी लगती थी। पुस्तकों से हम भविष्य हेतु जानकारी प्राप्त करते थे। पुस्तकें पढ़ने से अनेक प्रकार की घटनाओं को समझने का मौका मिला। हमारे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में व्यक्ति के गुण, व्यवहार, रहन–सहन आदि पढ़ना अच्छा लगता था। इससे हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़ी है।

क्या आपको पढ़ाई में घर में भी मदद मिलती थी ? किससे ?

सामान्य तौर पर यह सवाल कि '' पढ़ाई में घर में भी मदद'' बहुत सीधा व सहज लगता है किन्तु बच्चों ने जो लिखा है वह हमारी समझ को दुरस्त करता है।

19 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि उनके घर या आसपास कोई मदद करने वाला नही था। वे जो कुछ भी सीखे हैं शिप्रोके में सीखें है। कुछ बच्चों ने अलग से केन्द्र संचालक के नाम का जिक्र किया है कि इनकी मदद से सीखे हैं।

8 प्रतिशत बच्चों ने लिखा कि उन्हें पापा से मदद मिली है जबकि 4 प्रतिशत बच्चों ने मां कि मदद का जिक्र किया है। किन्तु माता–पिता से पढ़ाई में नही बल्कि पढ़ाई करने के लिए उनके द्वारा किए गए सहयोग का जिक्र भी लड़कियों ने किया है। किस तरह मां–पिता उनसे घर का काम नही करवाते थे। मन पसंद भोजन बनाकर देते थे और कहते थे तुम्हें केवल पढ़ना है। बच्चों ने इसे बहुत बड़ी मदद माना है।

13 प्रतिशत बच्चों को माता और पिता दोनों से मदद मिली जबकि 10 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरे परिवार (माता–पिता, भाई–बहन, चाचा, मौसी आदि) की मदद मिली।

46 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है कि उन्हें बड़े भाई–बहन से मदद मिली है। यह प्रतिशत पियर लर्निंग को दर्शाता है। परिवार के एक सदस्य के पढ़ने से कैसे पूरे परिवार में शिक्षा का प्रसार होता है।

क्या आप भविष्य में केन्द्र संचालक बनना चाहोगे ?

96 प्रतिशत बच्चे केन्द्र संचालक बनना चाहते हैं। इनमें से कुछ इस भाव के साथ केन्द्र संचालक बनना चाहते है कि वे अपने गांव के सभी बच्चों को अपनी तरह आगे पढ़ाना चाहते हैं।

3 प्रतिशत बच्चे अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। जबकि 1 प्रतिशत बच्चे (लड़की) पुलिस बनना चाहती है।

आप पुस्तक पढ़ना किस कक्षा में सीख गए थे ?

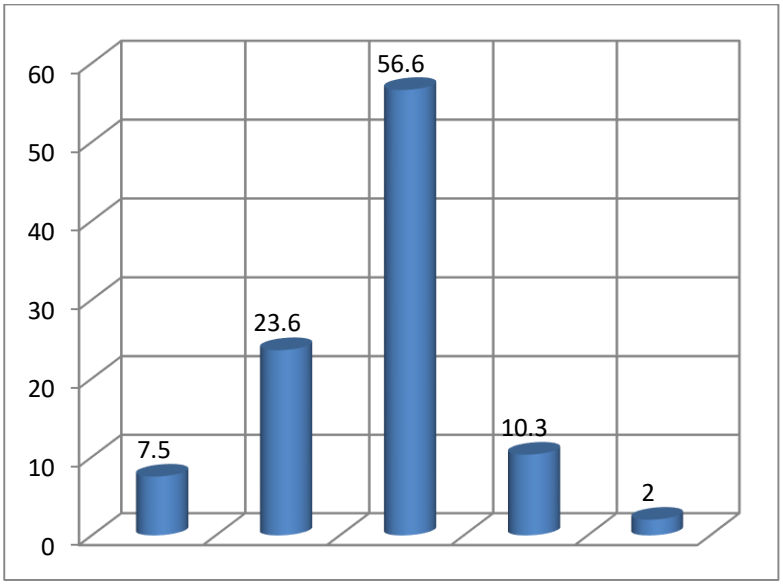

लगभग 88 प्रतिशत बच्चे कक्षा तीसरी तक पुस्तक पढ़ना सीख चुके थे।

19 प्रतिशत बच्चे जिनके घर या आसपास कोई शैक्षिक मदद करने वाला नही था वे सब भी कक्षा तीसरी तक पढ़ना सीख गए थे।

साक्षात्कार के दौरान बच्चों ने बताया कि जब कोई सरकारी नोटिस या चिटठी आती तो पिताजी/गांव के और लोग हमें बुलाते और कहते पढ़कर सुनाओ। हम कहीं–कहीं अटकते और पढ़कर सुना देते। उसमें लिखी बात बड़े लोग सुनकर समझ लेते पर हमको समझ नही आती। हमसे उसका मतलब पूछते तो हम ''अभी टाईम नही है '' कहकर भाग जाते। कोई पेपर, चिटठी पढ़कर सुनाने के बाद हमको लगा कि सच में हमको पढ़ना आ गया।

आपके कुछ साथी जो केन्द्र में नही आते थे वे अब क्या कर रहे हैं ?

इस सवाल के जवाब में 17 प्रतिशत बच्चों ने लिखा कि जो बच्चे केन्द्र पर नही आते थे वे अब स्कूल तो जा रहे है किन्तु उन्हें पढ़ना नही आता।

37.7 प्रतिशत बच्चों ने लिखा कि वे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और घर के कामों में माता–पिता को मदद करते हैं। 33 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं और 9.4 प्रतिशत बच्चे कोई काम नही करते दिन भर गली, मोहल्ले में खेलते रहते हैं।

शेष बच्चों अपने अलग मत दिए। एक बच्चे ने लिखा '' वे अब हमारे बारे में सोचते होंगे।'' एक लड़की ने लिखा जो नही आते थे उनकी शादी हो गई।

अगला सवाल था, आपको शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र से आगे की पढ़ाई में कुछ मदद मिली क्या ? किस प्रकार की ?

27 प्रतिशत बच्चों ने सवाल के एक हिस्से का जवाब लिखा। इन्हें शिप्रोके से आगे की पढ़ाई में मदद मिली। 12 प्रतिशत बच्चों को भाषा व 17 प्रतिशत बच्चों को गणित में काफी मदद मिली जबकि 42 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है उन्हें आगे की पढ़ाई में भाषा और गणित दोनों में बहुत मदद मिली। शेष बच्चों में 2 प्रतिशत बच्चों ने लिखा है हमें हमें पहले की बात अभी भी याद है, जब कोई शिक्षक हमें कुछ भी पढ़ाते हैं तो पहले की बात याद आ जाती है। हमें जनरल नॉलेज और आगे की पढ़ाई में मदद मिली।

60 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने लिखा है कि हमें पढ़ना सीखने में शिप्रोके से बहुत मदद मिली। जिसके कारण अगली कक्षा में शिक्षक जो पढ़ाते वह समझ आ जाता और हम आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख पाते। हम भविष्य में कुछ बन सकें ऐसी मदद मिली।

बच्चों के माता–पिता शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के बारे में क्या कहते हैं ?

- केन्द्र में बच्चे अपनी पढ़ाई को सुधार सकते है और सीखते हैं। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए केन्द्र और स्कूल दोनों बहुत जरूरी है।
- आने वाले समय में केन्द्र और खोले जाने चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। हमने आने वाली पीढी के लिए केन्द्र खोला है जिससे बच्चे पढ़ाई में मजबूत बनें।
- केन्द्र जाओ, पढ़ाई करो, जो सीखाया जाता है प्रयोग करो। गांव के सभी बच्चों को प्रतिदिन केन्द्र पर जाना, मेडम की बात मानना और रोज स्कूल भी जाना चाहिए।
- केन्द्र हमेशा गांव में रहना चाहिए। केन्द्र हमें बहुत कुछ सीखाते हैं।

76 प्रतिशत माता–पिता बच्चों को नियमित केन्द्र पर जाने के लिए कहते थे। केन्द्र की तारीफ करते थे। केन्द्र पर न जा पाने की स्थिति में सवाल पूछते थे कि क्यों नही गए ? समझाते थे आपका भविष्य अच्छा बनेगा, रोज केन्द्र पर जाओ कहते थे। पढ़ोगे तो भविष्य में नौकरी मिलेगी कहकर केन्द्र पर भेजते थे। 24 प्रतिशत पालक नियमित बच्चों से पता करते थे कि केन्द्र में पढ़ाई कैसी चल रही है ? आज क्या पढ़ा ? सर/मैडम कैसा पढ़ाते हैं ?

पालकों की बच्चों के सीखने के प्रति समझ में परिपक्वता झलकती है। पालक खेल–खेल में पढ़ाई को महत्व देने लगे है। सीखने में बच्चों की रूचि और तरीके, शिक्षक का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। इसीलिए वे बच्चे को दबाव के बजाए समझाने पर ध्यान देने लगे हैं। खासकर पिता, क्योंकि मां का नज़रिया पहले भी बच्चे को समझकर आगे बढ़ने का दिखाई देता था किन्तु पिता बल के प्रयोग में यकीन रखते थे। इसमें काफी बदलाव दिखाई दिया। तभी बच्चों ने लिखा है कि '' तारीफ करते थे, बच्चे सुबह खेलने के साथ पढ़ाई करते हैं।''

इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहें ?

यह खुला सवाल था जिसे जो कुछ और कहना है वह लिख सकता था। इसमें लगभग बच्चों ने अपने मन के भाव व्यक्त किए है। प्रस्तुत है कुछ बच्चों द्वारा लिखे गए वाक्यांश –

- बहुत जानकारी मिली और जल्द पढ़ना सीख गए। अब केन्द्र बंद हो जाने के कारण बच्चे पढ़ाई से पिछड़ रहे हैं। कक्षा चौथी–पांचवी के बच्चे भी पुस्तक नही पढ़ पा रहे हैं। केन्द्र पुनः खोला जाए। शिप्राके वर्तमान और भविष्य में भी चलते रहें ताकि छोटे भाई–बहन बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- सर लोगों से निवेदन है आगे केन्द्र और चलना चाहिए और 6 वी, 7 वी 8 वी में भी ऐसी मदद मिलनी चाहिए।
- अच्छी संस्था है। शिक्षा के साथ–साथ खेल भी खेलते हैं। हमारी हिन्दी मजबूत होती है। इस संस्था ने हमें बहुत लाभ दिया है यह संस्था निरंतर चलना चाहिए। बच्चों को नई–नई पुस्तक पढ़ने को मिलना चाहिए।
- केन्द्र पर अच्छी पढ़ाई होती थी। खेलना जरूरी था ताकी पढ़ाई भी अच्छी हो सके।
- हम तो कुछ नही आगे और पढ़ाई करके केन्द्र संचालक बनकर बच्चों को सिखाना चाहेंगे।

- पढ़ाई पूरी हो जाए तो केन्द्र संचालक बनना चाहेंगे। अगर बच्चों को शिक्षा नही मिली तो पीछे रह जाएंगे।
- शिप्रोके में पढ़ने में बहुत मजा आता था। वहां की पढ़ाई आगे की कक्षाओं में काम आ रही है।
- मुझे शिप्रोके में पढ़ना अच्छा लगता था। गांव में एक शिप्रोके होना चाहिए जिससे बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें।

साक्षात्कार में बच्चों द्वारा लिखे गए विचारों को किसी अनुभवी और व्यस्क की सलाह से कम नही आंका जा सकता है। कल के शिप्रोके के विद्यार्थी आज व्यस्क जिम्मेदार नागरिक बन गए हैं। उन्होंने शिक्षा में बदलाव के स्वाद को महसूस किया है। वे केन्द्र संचालक और शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से स्कूली तंत्र और समाज दोनों में बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें शिक्षक (केन्द्र संचालक) का बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाना, अपनापन देता है। केन्द्र संचालक के एक बदलाव से बच्चों ने शिक्षक सवाल पूछना, पुस्तकालय का खुलकर उपयोग करना, किताब खो जाने पर ढूढ़ने का पूरा प्रयास करना, शिक्षक को बता देना जैसे बदलाव हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि पढ़ाई जाने वाली किताबों में क्या कमियां लगी ? तो लगभग बच्चों ने कमी के बजाए किताब की खूबियों के बारे में लिखा। यह बच्चों की सोच में सकारात्मक बदलाव दिखाई दिया। बच्चे अपने स्कूल (वर्तमान में जहां वे पढ़ रहे हैं।) में भी अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक ऐसा करें। स्कूल में लेट हो जाने पर शिक्षक डांटने या सजा देने के बजाए, उनके लेट होने का कारण समझें और उनकी परेशानी में सहानुभूति दर्शाएं।

शिक्षा और सीखना में पियर लर्निंग का काफी महत्व है। इसके सिध्दांतों पर सहमति तो होती है किन्तु व्यवहार की स्थिति में हम अनदेखी कर देते हैं। यहां पर बच्चों ने इसे अधिक महत्व दिया है। जब उनसे पूछा गया कि कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी रहती थी तो उन्होंने समूह में तो लिखा ही साथ में बहुत अच्छी भी जोड़कर लिखा है। इसका दूसरा उदाहरण एक और पढ़ने को मिला जब उनसे पूछा गया कि पढ़ाई में घर में किससे मदद मिली तो अधिकांश बच्चों ने अपने भाई–बहन का जिक्र किया। उनके यह विचार स्कूली व्यवस्था में भी बदलाव की अपेक्षा करते हैं।

पालक और बच्चे दोनों ही अपेक्षा नही करते कि उनकी मातृभाषा में ही आगे की पढ़ाई हो। वे खुद भी हिन्दी, अंग्रेजी सीखना और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी भाषा को भी कक्षा में माध्यम बनाया जाता है तो समझने और अभिव्यक्ति में मदद मिलती है।

शिप्रोके में समुदाय से मॉनिटरिंग की अपेक्षा थी। जिसे पालकों ने पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा किया है। केन्द्र संचालन के लिए वित्तिय प्रबंधन उनकी क्षमता से अधिक होने के कारण पूरा नही कर सके। लेकिन बच्चों की बातों से लगता है हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब वे तन, मन और धन से सहयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। शिप्रोके एक कार्यक्रम नही एक सोच के रूप में विकसित हुआ है जिसे वे अपने–अपने गांव में सतत जारी रखना चाहते हैं।

शिक्षा प्रोत्साहन केन्द्र से एकलव्य टीम के सदस्यों ने समझा व सीखा कि –

- बच्चों के शाला पूर्व के अनुभव आगे सीखने की प्रमुख कड़ी है। इसे नकारकर/अनदेखा कर हम महत्वपूर्ण ज्ञान के भंडार को खो देते हैं। स्कूली तंत्र नए सिरे से ज्ञान की संरचना (अपने ही बनाए नियम व ढांचे के अनुसार) करना अपना कर्तव्य समझता है और बच्चों के ज्ञान के भंडार से अछूता रह जाता है। इससे बच्चे स्कूली वातावरण में अपने को कटा हुआ महसूस करते हैं।
- बच्चे की मातृभाषा, बच्चे के ज्ञान के भंडार से जुड़ाव का महत्वपूर्ण रास्ता है।
- बच्चों द्वारा हासिल ज्ञान में तर्क, निष्कर्ष और तथ्य वैसे ही समाहित होते हैं जैसे बड़ों के।
- सीखना सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसे अनुकूल वातावरण देकर व्यापक तो किया जा सकता है किन्तु सीखने को किसी शारीरिक बल से पूरा नही करवाया जा सकता है।

- बच्चे को स्तर अनुसार शिक्षण से स्कूल में बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण का व्यवहारिक हल दिखाई देता है।
- सह–शिक्षण सामग्री को बच्चों व पालकों, शिक्षकों की मदद से बनाया व उपयोग के बाद का रखरखाव इन्हीं करवाया जा सकता है।
- बच्चों के सतत आकलन के लिए ऐसे फार्मेट बनाए व उपयोग किए जा सकते हैं जो पालकों और शिक्षक के लिए व्यवहारिक हों।
- निरक्षर पालक भी कुशलता से अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा में सहयोग व शिक्षण में प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे पालक नियमित स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में जाकर रचनात्मक सहयोग देते हैं।

चुनौतियां

- तकनीकी तौर पर बच्चों को भाषा व गणित सीखाया जा सकता है। लेकिन इससे आगे क्या सीखना है ? कैसे सीखना है ? आगे की दिशा को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
- सिस्टम काम को महत्वपूर्ण तो मानता है किन्तु व्यवहारिक नही। तंत्र में तो जगह देते है किन्तु सोच में नही।
- स्कूली तंत्र में जिनके पास पावर, समझ और कर सकने की क्षमता है, ऐसे लोगों का अधिकतर समय स्कूल की जानकारी बनाने, तंत्र की अगली कड़ी तक पहुंचाने में निकल जाता है। ऐसे लोग अपने आसपास काम करने वालों को भी अपने साथ ले लेते हैं।
- दूर दृष्टि तो है किन्तु किसी भी ढांचे की संस्कृति बनने में समय लगता है। स्कूली ढांचे में लंबी अवधि तक करके देखने का धैर्य नही है।
- यदि नियमित काम के संचालन व जानकारी संकलन के लिए व्यवस्थित ढांचा नही बनाया, या बनाने के बाद उसका पालन नही किया तो काम का अधिकांश समय जानकारी संकलन व उनसे निष्कर्ष निकालने में बीत जाता है। अकादमिक काम पिछड़ता जाता है।
- समुदाय एक समझ के बाद नेतृत्व एवं जिम्मेदारी लेने को तैयार हो पाता है। कई बार हम समय के दबाव में उनके नेतृत्व क्षमता को पनपने एवं परखने के लिए पर्याप्त मौके खुद अपने हाथ में ले लेते हैं।

योजना हम भी बनाते हैं। कंकड़ से चपेटा (एक खेल) फिर फूल बनाना तक।

घनश्याम तिवारी, एकलव्य